# भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE


(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित) (Constituted Under I.M.C.C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा (1996-97)

Annual Report and Audited Accounts (1996-97)



61-65 इस्टीट्यूशनल एरिया, जनक पुरी नई दिल्ली - 110058 61-65 Institutional Area, Janak Puri New Deliii-110058



## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली-110058

## वर्ष 1996-97 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3 (II) दिनांक 10-8-71 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन 1984 और 1995 में हुआ। केन्द्रीय परिषद् के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं:

- भारतीय चिकित्सा पद्धित यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना ।
- 2. भारतीय चिकित्सा पद्धित की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता/मान्यता को वापिस लिये जाने से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र -सरकार को परामर्श देना ।
- अभारतीय चिकित्सा पद्धित की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के चिकित्साध्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना ।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धित के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं । ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिसमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं ।

केन्द्रीय परिषद् ने पहले से ही विहित पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया । यह निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब के विभिन्न विषयों के पाठ्यविवरण और पाठ्यविधि की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला आयोजित की जाय । तद्नुसार स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के उद्देश्य से कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं । वर्ष के दौरान आयुर्वेद की दो कार्यशालाएं और यूनानी की तीन कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं । सिद्ध शिक्षा पर शीघ्र ही कार्यशाला आयोजित की जायेगी ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा पद्धति के नये महाविद्यालय खोलने की शर्तों की समय-समय पर पुनरीक्षा की है। प्रकरण पर विमर्श के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि नया महाविद्यालय खोलने के इच्छुक संस्थान को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी।

 भारतीय चिकित्सा पद्धित का कोई भी महाविद्यालय भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की पूर्वानुमित के बिना आरम्भ नहीं होगा ।

- केन्द्रीय परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु महाविद्यालय खोलने की इच्छुक प्रबन्ध समिति (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठन) अपनी राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्रीय परिषद् से सम्पर्क स्थापित करे ।
- उत्तर्थ सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी स्पष्ट शब्दों में इंगित करें कि क्या वे गैर-सरकारी संगठन द्वारा महाविद्यालय प्रारम्भ करने के पक्ष में हैं अथवा नहीं।
- 4. महाविद्यालय की प्रबन्ध सिमित (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था) लिखित रूप में अपनी इच्छा, कि यदि केन्द्रीय परिषद् महाविद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमित देता है, तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता देने की अनुमित प्रस्तुत करेंगे ।
- महाविद्यालय (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था) की प्रबन्ध समिति केन्द्रीय परिषद् द्वारा यथा अनुशंसित कर्मचारी वर्ग, स्थान और साज-सज्जा के विस्तृत विवरणिका तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा यथा विहित न्यूनतम स्तरों को चरणबद्ध पद्धित से लागू करने के लिए एक लिखित आश्वासन देना होगा ।
- 6. महाविद्यालय की प्रबन्ध सिमिति (सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था) द्वारा उपाधि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित पर्याप्त सुविधाएं होने हेतु आश्वासन ।
- प्रबन्ध समिति उपाधि पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में अनुशंसाओं के अनुसार पर्याप्त प्रशासिनक और शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाएं ।
- महाविद्यालय आश्वासन दे कि 1:5 छात्र शय्या के अनुपात में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायगा ।
- 9. बहिरंग और अन्य आवश्यकताओं, जो भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बढ़ाया जा सके, के साथ 100 शय्याओं वाला आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी तिब्ब अस्पताल हो।
- महाविद्यालय की प्रबन्ध सिमित उपाधि पाठ्यक्रम के तृतीय वर्ष तक पूरा होने वाले एक सुसज्जित अस्पताल के निर्माण की योजना प्रस्तुत करे ।

### भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में एक है। प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धित में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो तत्समय किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामाविलगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सोय अहर्ताओं में से कोई भी रखते हैं। केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय गिकित्सा के अनुरक्षित करती है और उसको आद्यतन करना एक अनवर्त प्रक्रिया है।

परिषद् द्वारा अध्ययन हेतु शिक्षा के न्यूनतम स्तर और पाठ्यविधि निर्धारित किए जा चुके हैं। परिषद् देश की इन शैक्षिक संस्थाओं में परिदर्शन हेतु सदस्यों का दल भेज कर इन महाविद्यालयों में उपलब्ध स्तरों की सही जानकारी रखती है। परिदर्शक किमयों को इंगित करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन किमयों को निश्चित अविध में पूरा करने के लिए अथवा अगले सत्र में प्रवेश बन्द करने के लिए संस्थाओं को निर्देश भेजे जा रहे हैं।

यह अंकित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इनके परिणाम फलदायक रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धित के महाविद्यालय के वर्तमान स्तर का आकलन करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा सामूहिक परिदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुपालनार्थ केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक और क्रियात्मक प्रशिक्षण एवं साज-सज्जा हेतु उपलब्ध सुविधाओं का आकलन करने हेतु वर्ष के दौरान आयुर्वेद के 92 और यूनानी के 14 महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने अपने अस्तित्व के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं । वर्ष 1997 को रजत जयन्ती वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया । 20 मार्च, 1997 को रजत जयन्ती समारोह मनाया गया । श्री सलीम इकबाल शेरवानी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार ने रजत जयन्ती समारोह का उद्घाटन किया । श्रीमती शान्ता शास्त्री, श्री प्रदीप भार्गव, क्रमश: सचिव और संयुक्त सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धित एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा पद्धित के अन्य प्रसिद्ध चिकित्सकों एवं विशेषज्ञों तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों को समारोह में सम्मानित किया गया । भारतीय चिकित्सा पद्धित के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा विशेष भाषण दिए गए । वैद्यराज बृहस्पतिदेव त्रिगुणा और आचार्य प्रियव्रत शर्मा (बनारस) ने आयुर्वेद पर हकीम एम.एस. उस्मानी ने यूनानी पर और डॉ. जे. आर. कृष्णामूर्ति ने सिद्ध चिकित्सा पद्धित पर अपने उद्गार प्रस्तुत किए ।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के नियमित सदस्य के रूप में 25 वर्ष पूरे करने और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद को अपनी बहुमूल्य सेवाएं देने वाले भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के अकेले सदस्य डॉ. मदन सरूप गुप्ता, समस्त भूतपूर्व अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निबन्धकों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों जिन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अपना योगदान दिया, को सम्मानित किया गया।

18 एवं 19 मार्च, 1997 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक बैठक सम्पन्न हुई। श्रीमती शान्ता शास्त्री, सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धित एवं होम्योपैथी विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 मार्च, 1997 को परिषद् को सम्बोधित किया और भारत सरकार के विचारों को इंगित किया। उन्होंने दोहराया कि भारत सरकार आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी चिकित्सा पद्धित के स्नातकीय और स्नातकोत्तर शिक्षा के न्यूनतम स्तरों को सुधारना और अपेक्षित आवश्यकताओं के बिना चल रहे संस्थानों की कुकुरमुत्ता वृद्धि को रोकना चाहती है।

परिषद् ने संकल्प लिया कि राज्य सरकारों के द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के हित एवं विकास हेतु गठित सभी समितियों में केन्द्रीय परिषद् के सदस्यों को सम्मिलित करने हेतु राज्य सरकारों को पत्र लिखा जाय ।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा जाय कि आयुर्वेद और अन्य स्नातकों के समान यूनानी स्नातकों को भी समान स्तर और पदोन्नित के समान अवसर दिए जाएं ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धित के स्नातकों के मध्य सभी स्तरों पर समानता बनाई जा सके।

### प्रशासनिक प्रतिवेदन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की संरचना

तृतीय गठित केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :-

### आयुर्वेद

- 1. डॉ॰ मेरी वमन रेड्डी
- 2. डॉ० सिवानन्दम
- 3. डॉ॰ गजेन्द्र भराली
- 4. डॉ॰ देवव्रत नारायण सिंह
- 5. डॉ॰ महेश्वर पांडे
- 6. डॉ॰ इन्द्रमोहन झा
- 7. डॉ॰ अलख नारायण सिंह
- डॉ० ओमप्रकाश विशष्ठ
- 9, डॉ॰ पटेल अरविन्द केशवलाल
- 10. डॉ॰ भूपतानी रमेशचन्द्र
- 11. डा॰ पवन कुमार वशिष्ठ
- 12. डॉ॰ देवनारायण शर्मा
- 13. डॉ० रुद्रमणि शर्मा
- 14. डॉ० ज्ञानचन्द
- डॉ० जयप्रकाश नारायण
- 16. डॉ॰ एस॰ वी॰ सावदी
- 17. डॉ० के० राजगोपालन
- III. डॉ० डी० रामनाथन
- डॉ॰ रणवीर सिंह परिहार
- 0. डॉ॰ प्रमोद कुमार जैन
- ।। डॉ॰ राजेश शुक्ल
- 🔃 डॉ॰ सतीशदत्त गर्ग
- डॉ॰ ज्ञानकुमार आहूजा
- 📶 वैद्य शाहिकशन विट्ठल दास
- तैद्य रमेश कृष्ण यादव
- वैद्य एन. वी. साल्गरकर
- / डॉo घनश्याम मिश्र

- 28. वैद्य जगजीत सिंह
- 29. डॉ॰ मुकेश वालिया
- 30. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
- 31. वैद्य महेन्द्र कुमार शर्मा
- 32. वैद्य रघुनन्दन शर्मा
- 33. डॉ॰ पी॰ नारायणन
- 34. डॉ॰ मुकेश शर्मा
- 35. डॉ॰ पातंजिल द्विवेदी
- 36. डॉ॰ वाचस्पति त्रिवेदी
- 37. डॉ॰ भृगुपति पांडेय
- 38. डॉ॰ किशोर मोहन
- 39. डॉ॰ स्वप्न कुमार भूनिया
- 40. डॉ॰ रमेश चन्द्र भट्टाचार्य
- 41. वैद्य के० के० झाला
- 42. डॉ॰ सुखदेव राज वत्स
- 43. डॉ॰ एस॰ सी॰ हूगर
- 44. डॉ॰ के॰ आर॰ रामचन्द्रन
- 45. डॉ॰ बी॰ जी॰ गोपीनाथ
- 46. डॉ॰ संगप्पा एस॰ होसमणि
- 47. डॉ॰ पी॰ के॰ वारियर
- 48. डॉ॰ पी॰ के॰ मोहनलाल
- 49. डॉ आनन्द स्वरूप उपाध्याय
- 50. डॉ॰ टी॰ एम॰ पवार
- 51. डॉ॰ आर॰ वी॰ सहगोरा
- 52. वैद्य दीनानाथ आर० उपाध्याय
- 53. वैद्य जी० पी० उपाध्याय
- 54. वैद्य रोहीदास सम्भु पाटिल
- 55. वैद्य मोहन नारायण ताम्बे
- 56. डॉ॰ कैलाश चन्द्र पाढ़ी
- 57. वैद्य रामभरोसी मिश्र
- 58. डॉ॰ डी॰ अथस्यराज
- 59. डॉ॰ सर्वदेव उपाध्याय
- 60. डॉ॰ लक्ष्मी नारायण मैती
- 61. डॉ॰ टी॰ किशन
- 62. वैद्य सुहास नारायण परचुरे
- 63. वैद्य एस॰ पी॰ भट्टाचार्य
- 64. वैद्य आई० संजीवाराव
- 65. वैद्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा

- 66. वैद्य शिवकुमार मिश्र
- 67. वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा
- 68. वैद्य जी० एल० चानना
- 69. प्रो० कुलवन्त सिंह
- 70. वैद्य एस॰ सी॰ सांख्यधर
- 71. प्रो० आर० भरतराजन
- 72. वैद्य श्रीराम शर्मा
- 73. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी
- 74. वैद्य संजय जनार्दन तिलक
- 75. वैद्य अब्दुल वहीद
- 76. प्रो॰ वेदव्रत शर्मा
- 77. डॉ॰ सी॰ एच॰ एस॰ शास्त्री
- 78. वैद्य हरिनारायण स्वामी
- 79. वैद्य बी० वैद्यनाथन
- 80. प्रो॰ ज्योतिर्मित्र आचार्य
- 81. डॉ॰ (श्रीमती) साधना मिश्र
- 82. वैद्य बालेन्दु प्रकाश

### सिद्ध

- 83. डॉ॰ वी॰ स्टेन्ले जोन्स
- 84, डॉ॰ एस॰ गोपाल कृष्णन
- 85. डॉ॰ वी॰ अरुणाचलम
- ८० वी० सुब्रहमण्यम
- हॉ० एम० ए० कुमार

### युनानी

- 👊. डॉ॰ एम॰ एस॰ गुप्ता
- ॥१, हकीम ए० जे० खान
- 90.' हकीम श्रीमती अलिया अमान
- 91. डॉ॰ रामदित्ता शर्मा
- प्रो० हकीम एस० खलीफथ्थुल्लाह
- 👊 . हकीम सैफुद्दीन अहमद
- 94. डॉ॰ एस॰ एस॰ रावत
- ル हकीम फारूक अहमद अब्दुल अजीज
- ण्डा डॉ॰ दौलतराम भराज
- **97.** डॉ॰ विनोद पुण्डीर
- णा, डॉ॰ बन्सीलाल पण्डित
- 👊 प्रो० हकीम एस० शाजी हैदर
- 100. डॉ॰ मौ॰ अख्तर मसूद सिद्दकी

101. प्रो॰ हकीम अब्दुल मोबिन खान

102. हकीम वेद प्रकाश शर्मा

103. हकीम सऊद अली खान

104. डॉ॰ के॰ शफीउल्लाह खान

105. हकीम शमीम अहमद

106. हकीम हाफिज एस० हबीबुरईमान

107. हकीम सैय्यद फैजान अहमद

108. डॉ॰ ताहिरा बानू

109. हकीम जमील अहमद

110. हकीम मोहम्मद अशरफ करीम

111. डॉ॰ सैय्यद शाहबुल हक

112. प्रो० हकीम शेख मोहम्मद अरशद

113. ह्याम अख्याना स्थान

114. हकीम सैय्यद इमामुदीन अहमद

116. डॉ॰ अबू बकर खान

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निम्न पदाधिकारी हैं : -

. वैद्य श्रीराम शर्मा - अध्यक्ष

2. वैद्य पं॰ शिवकरण शर्मा छांगाणी - उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)

3. डॉ॰ व्ही सुब्रह्मण्यम - उपाध्यक्ष (सिद्ध)

4. प्रो॰ हकीम अब्दुल मोबिन खान – उपाध्यक्ष (यूनानी)

वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा - सदस्य (कार्यकारिणी सिमिति)

6. डॉ॰ प्रमोद कुमार जैन - सदस्य (कार्यकारिणी समिति)

7. डॉ॰ सिवानन्दनम - सदस्य (कार्यकारिणी समिति)

वैद्य रघुनन्दन शर्मा – सदस्य (कार्यकारिणी सिमिति)
 डॉ॰ एम॰ ए॰ कुमार – सदस्य (कार्यकारिणी सिमिति)

10. डॉ॰ मदन सरुप गुप्ता - सदस्य (कार्यकारिणी समिति)

11. हकीम शेख मोहम्मद अरशद - सदस्य (कार्यकारिणी समिति)

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं : -

1. आयुर्वेद समिति

2. सिद्ध समिति

3. यूनानी सिमिति

उपर्युक्त सिमितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमश: ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

प्रत्येक समिति सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देशों, जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् देती है, के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धित जैसा भी प्रकरण हो, से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

### कार्यकारिणी समिति

अधिनियम, एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद् हारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 की संख्या-5, के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तीनों पद्धतियों के सदस्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

केन्द्रीय परिषद् ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, अधिनयम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया –

### विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया ।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति - 1. वैद्य आई० संजीवा राव उपसभापति - 2. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी

सदस्य - 3. डॉ॰ बी॰ आर॰ सी॰ अमृतलाल

सदस्य – 4. डॉ॰ पी॰ नारायणन सदस्य – 5. डॉ॰ राजेश शुक्ला

सदस्य - 6. डॉ॰ अलंखनारायण सिंह

सदस्य - 7. डॉ॰ एस॰ सी॰ हूगर

सदस्य - 8. डॉ॰ ज्ञान कुमार आहूजा सदस्य - 9. डॉ॰ ए॰ एस॰ उपाध्याय

सदस्य - 10. डॉ॰ एस॰ के भूनिया

सदस्य - 11. डॉ॰ आर॰ के॰ यादव

सदस्य – 12. डॉ॰ के॰ सी॰ पाढ़ी

मदस्य - 13. डॉ॰ एस॰ गोपाल कृष्णन

गतस्य – 14. हकीम सैय्यद इमामुद्दीन अहमद

गदस्य – 15. हकीम के० शफीउल्लाह खान

गदस्य - 16. डॉ॰ बंसीलाल पंडित

॥दस्य = 18. डॉ॰ एस॰ एस॰ रावत

## पंजीयन समिति

परिषद् ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशंसाएं करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया । पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं --

1 -11 11 (11-11/1 4) 1-1-1	लप्त्य	6 -
सभापति	1.	डॉ॰ जयप्रकाश नारायण
उपसभापति	2.	डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल
सदस्य	3.	डॉ॰ पवन कुमार विशष्ठ
सदस्य	4.	डॉ॰ देवनारायण शर्मा
सदस्य	5.	डॉ॰ सतीशदत्त गर्ग
सदस्य	6.	डॉ॰ डी॰ रामनाथन
सदस्य	7.	डॉ॰ बी॰ जी॰ गोपीनाथ
सदस्य	8.	डॉ॰ आर॰ भारतराजन
सदस्य	9.	डॉ॰ डी॰ अथस्यराज
सदस्य	10.	वैद्य रोहिदास शम्भू पाटिल
सदस्य	11.	डॉ॰ ज्ञान कुमार आहूजा
सदस्य	12.	डॉ॰ एन॰ वी॰ सालारकर
सदस्य	13.	डॉ॰ महेन्द्र कुमार शर्मा
सदस्य	14.	डॉ॰ मेरी वमन रेड्डी
सदस्य	15.	डॉ॰ रामदित्ता शर्मा
सदस्य	16.	हकीम अख्तर मसूद सिद्दकी
सदस्य	17.	हकीम सऊद अली खान
सदस्य	18.	डॉ॰ व्ही॰ स्टेनले जोन्स

## वित्त समिति

परिषद् के वित्त सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए परिषद् ने वित्त समिति का गठन किया।

वित्त समिति के	निम्न सदस्य हैं	Factor astrophy
सभापति	1.	वैद्य गौरीलाल चानना
उपसभापति	2.	हकीम अबू बकर खान
सदस्य	3.	
सदस्य	4.	डॉ॰ मुकेश वालिया
सदस्य	5.	
सदस्य	6.	
सदस्य	7.	डॉ॰ डी॰ रामनाथन
सदस्य	8.	डॉ॰ एस॰एस॰ रावत
सदस्य	9.	हकीम शेख मोहम्मद अरशद

## शिक्षा समिति ( आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी )

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) की शिक्षा से सम्बन्धी समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं । आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं :-

### आयर्वेद

		जापुपप
सभापति	1.	वैद्य शिवकुमार मिश्र
पदेनसदस्य	2.	वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
सदस्य	3.	वैद्य वेद प्रकाश त्यागी
सदस्य	4.	प्रो॰ वेदव्रत शर्मा
सदस्य	5.	डॉ॰ सी॰एच॰एस॰ शास्त्री
सदस्य	6.	डॉ॰ किशोर मोहन
सदस्य	7.	वैद्य एस०के० शर्मा
सदस्य	8.	वैद्य भृगुपति पाण्डेय
सदस्य	9.	डॉ॰ शाहिकशन विट्ठलदास
सदस्य	10.	डॉ॰ जगजीत सिंह
सदस्य	11.	डॉ॰ घनश्याम मिश्र
सदस्य	12.	वैद्य हरिनारायण स्वामी
सदस्य	13.	डॉ॰ लक्ष्मीनारायण मैती
सदस्य	14.	वैद्य के०के० झाला
सदस्य	15.	प्रो॰ कुलवन्त सिंह
सदस्य	16.	डॉ॰ रुद्रमणि शर्मा
सदस्य	17.	डॉ॰ संगप्पा एस॰ होसमणि
सदस्य	18.	डॉ॰एस॰वी॰ सावदी
सदस्य	19.	डॉ॰ओ॰पी॰ विशष्ठ
सदस्य	20.	डॉ॰ सुखदेव राज वत्स
सदस्य	21.	डॉ॰ आर॰ सी॰ भट्टाचार्य
सदस्य	22.	डॉ॰ दीनानाथ आर॰ उपाध्याय
सदस्य	23.	डॉ॰ के॰ रांजगोपालन
सदस्य	24.	वैद्य गौरीलाल चानना
सदस्य	25.	डॉ०डी० रामनाथन
सवस्य	26.	प्रो॰ ज्योतिर्मित्र आचार्य
सवस्य	27.	वैद्य एं०एस० उपाध्याय
सारम	28.	वैद्य सुहास नारायण परचुरे
सवस्य	29.	डॉ॰ आर॰ वी॰ सहगौरा
सन्दर्भ	30.	डॉ॰ मुकेश शर्मा
सार्थ	31.	डॉ॰ इन्द्र मोहन झा
सवस्य	32.	डा॰ एस॰ पी॰ भट्टाचार्य
सार्थ	33.	डॉ॰ वाचस्पित त्रिवेदी
सावस्य	34.	डॉ॰ रणवीर सिंह परिहार

### सिद्ध

1.	डॉ॰ व्ही॰ सुब्रह्मण्यम
2.	डॉ॰ व्ही॰ अरुणाचलम्
3.	डॉ॰एस॰ गोपालाकृष्णन
	डॉ॰ एम॰ ए॰ कुमार
	डॉ॰ व्ही॰ स्टेनले जोन्स
	<ul><li>2.</li><li>3.</li><li>4.</li></ul>

### यूनानी

सभापति	1.	प्रो॰ हकीम जमील अहमद
उपसभापति	2.	प्रो० हकीम शहाबुलहक
पदेन सदस्य	3.	प्रो॰ हकीम अब्दुल मोबिन खान (उपाध्यक्ष, यूनानी)
सदस्य	4.	प्रो॰ हकीम सैय्यद शाजी हैदर
सदस्य	5.	प्रो॰ हकीम एस॰ इमामुद्दीन अहमद
सदस्य	6.	हकीम ए०जे० खान
सदस्य	7.	हकीम संऊद अली खान
सदस्य	8.	हकीम वेदप्रकाश शर्मा
सदस्य	9.	हकीम मोहम्मद अशरफ करीम
सदस्य	10.	
सदस्य	11.	
सदस्य	12.	हकीम (श्रीमती) अलिया अमान
सदस्य	13.	
सदस्य	14.	हकीम बंसीलाल पंडित
सदस्य	15.	हकीम (श्रीमती) ताहिरा बानू
सदस्य	16.	डॉ॰ मदन सरूप गुप्ता
सदस्य	17.	हकीम के० शफीउल्ला खान
सदस्य		हकीम शमीम अहमद
सदस्य		हकीम हाफिज एस० हबीर्बुरहमान

### वर्ष 1996-97 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई :

1.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्	1
2.	आयुर्वेद सिमिति	1
3.	सिद्ध समिति	1
4.	यूनानी समिति	1
5.	कार्यकारिणी सिमिति	
6.	पंजीयन समिति	1
7.	विनियम समिति	1
8.	वित्त समिति	2
		6.

9.	शिक्षा समिति (आयुर्वेद)
10.	शिक्षा समिति (सिद्ध)
11.	शिक्षा समिति (यूनानी)
12.	शिक्षा समिति (आयुर्वेद) की उपसमिति 5
13.	कार्यकारिणी समिति की उपसमिति
14.	आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण के संहिता, इतिहास और मौलिक सिद्धान्त प
	फार्यशाला । अनुस्ति अनुसारिक कर त्रिकृतिक अनुसारिक अनुसारिक विकास ।
15.	आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के रचना शरीर और क्रिया शरीर विषय के पाठ्यविवरण कं
	पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला 1
16.	युनानी तिब्ब के स्नातकीय पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण हेतु कार्यशाला
17.	युनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविधि पर कार्यशाला
18.	युनानी तिब्ब में स्नातकीय पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यविधि एवं न्यूनतम
	स्तर पर कार्यशाला
19.	पंजीयन समिति की उप-समिति की बैठक - 1
-	

### परिषद् द्वारा की गई मुख्य अनुशंसाएं निम्न हैं :

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धित के चिकित्साभ्यासियों है अधिकारों और विशेषाधिकारों पर समय-समय पर विचार किया गया और भारतीय चिकित्सा पद्धित को परिभाषित करने हेतु समय-समय पर कई प्रस्ताव पारित हुए । भारतीय चिकित्सा किया परिषद् अधिनियम, 1970 के सभी पहलुओं को देखने के पश्चात् निम्न प्रस्ताव पारित

भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद, यूनानी, तिब्ब एवं सिद्ध) के संस्थागत भिकित्याभ्यासी और जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत भारतीय जान अपने शिक्षण और प्रशिक्षण पर आधारित शल्य, प्रसूति और बालरोग सहित भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं आधुनिक चिकित्सा जिसे आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति भारतीय जाना जाता है, में चिकित्साभ्यास करने का अधिकार है।

केन्द्रीय परिपद् द्वारा चिकित्सीय गर्भ समाप्ति अधिनियम, 1971, मानव अंगप्रत्यारोपण जीपनियम, 1994 एवं पूर्व प्रसव नैदानिक परीक्षण बिल 1994 में भारतीय चिकित्सा पद्धति क चिकित्साभ्यासियों के समावेश हेतु प्रस्ताव पारित किया।

प्रातकीय पाठ्यक्रम के बिना भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोत्तर संस्थान / विभाग की स्थापना के प्रकरण पर विस्तार से विचार हुआ और यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा विहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के मानदण्ड पूरा करने महिला द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जा सकता है। आगे यह निर्णय लिया जा कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकोय पाठ्यक्रम, के बिना स्नातकोत्तर शिक्षा एवं जिला उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना हेतु अनुमित दी जा सकती है। ऐसी संस्थाओं के जिला चारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं का जानवार्य है।

10

केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष 1997-98 से भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों से मान्यता शुल्क की राशि को निम्न रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया :-

(क) स्नातकीय महाविद्यालयों से

₹0 10,000/-

(ख) स्नातकोत्तर विभाग से प्रत्येक विषय के लिए

天。 5,000/-

(ग) नए महाविद्यालयों से

₹0 50,000/-

निर्णय लिया गया कि राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, हरिद्वार और राजकीय लिलत आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश की अनुमित न दी जाय।

निर्णय लिया गया कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय ग्वालियर और रायपुर में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तत्काल बन्द कर दिया जाय क्योंकि वहां पर स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाएं नहीं हैं।

मध्य प्रदेश सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश आयुर्वेद महाविद्यालय में प्री-मेडीकल टैस्ट के माध्यम से प्रवेश समाप्त किया जाय और वरीयता अथवा प्री-आयुर्वेद टैस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाय ।

यह अंकित किया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धित एवं होम्योपैथी संस्थाओं में सेवा-प्रभार के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव एवं वित्त परामर्शदाता के अर्धसरकारी पत्र की प्रित प्रेषित की। यह भी अंकित किया गया कि राजकोष पर बोझ कम हो इसके लिए देश की स्वास्थ्य सुविधाएं आत्म-निर्भर होनी चाहिए, केन्द्र सरकार की चालू नीति को ध्यान में रखते हुए ऐलोपैथी की कई संस्थाओं/अस्पतालों ने उपयुक्त सेवा प्रभार की स्कीम आरम्भ कर दी है। इसी के अनुरूप भारतीय चिकित्सा पद्धित एवं होम्योपैथी के सभी संस्थानों में सेवा प्रभार आरम्भ करने हेतु विचार करें। संस्थान इस निधि का उपयोग संस्थान में उपलब्ध सुविधाओं और इनके विकास हेतु कर सकते हैं जिसकी अनवरत आवश्यकता रहती है।

सिमिति ने उपर्युक्त पत्र पर विचार किया और निर्णय लिया कि उपर्युक्त पत्र की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धित के सभी महाविद्यालयों में परिचालित की जाय।

यह अंकित किया गया कि आचार्य राजकुमार जैन, निबन्धक एवं सिचव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 31-10-96 को सेवा-निवृत हो गये हैं और हकीम गुरप्रसाद सिंह रीना, सहायक निबन्धक (यूनानी) ने निबन्धक एवं सिचव के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

यह अंकित किया गया है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा आयुर्वेद/ सिद्ध/यूनानी की स्नातकीय शिक्षा के लिए न्यूनतम स्तर तैयार कर लिए गए हैं परन्तु विनियम के रूप में इन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है क्योंकि भारत सरकार की पूर्वानुमित अभी प्रतीक्षित है। कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी परिषद् को संयमित न्यूनतम स्तरों के लिए अनुरोध किया जिन्हें आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी संस्थाओं में लागू किया जा सके। यह अंकित किया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, नई दिल्ली ने सूचित किया कि इलैक्ट्रोपैथी, इलैक्ट्रो होम्योपैथी और इसी प्रकार की अन्य कही जाने वाली चिकित्सा पद्धतियों की मान्यता हेतु कई आवेदन प्राप्त हुए हैं।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा इन पद्धतियों को किसी भी उद्देश्य से मान्यता नहीं दी जा सकती।

## आयुर्वेद

पुष्य अनुशंसाएं निम्न हैं :-

यह निर्णय लिया गया कि शल्यतंत्र और प्रसूति तंत्र विषय में उपाधि की नामावलि को आयुर्वेद धन्वन्तरि एम०एस० (आयुर्वेद) के रूप में संशोधित किया जाय।

समिति ने अंकित किया कि आयुर्वेद शिक्षा पर उनके सम्मुख लिखे स्थानों पर निम्न कार्यशालाएं आयोजित की गई :-

- । श्रीमती के.जी. मित्तल पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय, मुम्बई, 27-29 जुलाई, 1995
- 🗼 राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हैदराबाद-12 एवं 13 नवम्बर, 1995
- ाजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला-27 एवं 28 मई, 1996
- । भवन्तरि भवन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली-15 एवं 16 फरवरी, 1997.

समिति ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 1994 के अधीन संज्ञाहरण, विकिरण विज्ञान और अगदतंत्र विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रावधान के समावेश को स्वीकार किया।

यह संकल्प लिया गया कि संलग्न अस्पतालों की शय्याओं की संख्या पर विचार भरी हा शय्याओं के अनुसार होना चाहिए और प्रवेश के लिए सीटों का आवंटन करने के लिए आय्याल में कम से कम 75 प्रतिशत भरी हुई शय्याओं का होना अनिवार्य होगा।

यह अंकित किया गया कि विभिन्न आयुर्वेद महाविद्यालयों को आयुर्वेद महाविद्यालय के पाण संलग्न आयुर्वेद अस्पतालों में आवश्यक यंत्रों/साज-सज्जा की सूची देने के लिए समय पर अनुरोध किया गया। अत: कार्यालय द्वारा तैयार की गई यंत्रों/साज-सज्जा की मुनी को देखने और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने हेतु एक उप-समिति गठित की गई। 3-2-97 वा समिति की बैठक हुई। उप-समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया।

कि दीय लोक संघ आयोग की लोक सेवा परीक्षाओं और राज्य सरकारों की लोक सेवा जागाग, हरियाणा राज्य के लोक सेवा आयोग इत्यादि परीक्षाओं के पाठ्यविवरण में चरक, प्राच्या, पायव निदान, मौलिक सिद्धान्त, शरीर रचना इत्यादि आयुर्वेद विषयों के समावेश पर विषय किया गया ताकि आयुर्वेद स्नातक अपने विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर पांचा कर सके । विभिन्न परीक्षाओं में उपर्युक्त विषयों के समावेश के लिए सम्बन्धित पायकारियों से अनुरोध करने का निर्णय लिया गया ।

यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महाविद्यालयों की दयनीय स्थिति को देखते हुए एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों से मिले।

समिति ने तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद विद्या पारंगत अर्हता को वर्ष 1988 तक मान्यता देना स्वीकार कर लिया।

आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में वेद और योग के संगत अंशों के समावेश को स्वीकार किया गया।

यह निर्णयं लिया गया कि एड्स से सम्बन्धित अंश को काय-चिकित्सा और स्वस्थवृत्त विषयों में सिम्मिलित किया जाय।

वर्ष 1996-97 के दौरान निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :-

क्रम	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन	स्नातकीय/	अनुमति दी गई/
सं.		की तिथि	स्नातकोत्तर	अनुमित नहीं दी गई
1.	राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटियाला	20-4-96	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
2.	श्री परसुरामपुरिया आयुर्वेद महाविद्यालय, सीकर	10-6-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
3.	श्री भंवरलाल दूगड आयुर्वेद विश्वभारती सरदारशहर	11-6-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
4.	आयुर्वेद महाविद्यालय, राहुरी ।	26-6-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
5.	गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर	25-6-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
6.	श्री साहू छत्रपति साहु महाराज आयुर्वेद कॉलेज, औरंगाबाद	27-6-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
7.	वाई॰एम॰टी॰ आयुर्वेद कॉलेज, मुम्बई		स्नातकीय	अनुमति दी गई
8.	वेंकटरमण आयुर्वेद कॉलेज, मद्रास	17-6-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
9.	श्री जयेन्द्र सरस्वती आयुर्वेद महाविद्यालय, कांचीपुरम्	18-6-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
10.	एस॰वी॰ आयुर्वेद कॉलेज, तिरुपति	19-6-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
11.	दून आयुर्वेद कॉलेज, देहरादून	8-6-96		अनुमित नहीं दी ग
12.	एन० के० जबशेट्टी आयुर्वेद कॉलेज, बीदर	28-6-96		अनुमित दी गई
13.	तारानाथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, बेल्लरी	20-6-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
14.	श्री लक्ष्मीनारायण आयुर्वेद कॉलेज, अमृतसर	5-7-96		अनुमति दी गई
15.	दयानन्द आयुर्वेद कालेज, जालन्धर	6-7-96		अनुमति दी गई
16.	श्री कविराज अनन्ता त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद कॉलेज, अंकुशपुर ।	7-5-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
17.	एस० एस० नरुसिंहनाथ आयुर्वेद कॉलेज, नर सिंहनाथ।	9-5-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
18.	आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गया।	15-7-96		अनुमति नहीं दी ग
19.	स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद कॉलेज, गया	15-7-96	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी ग
20.	श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, भागलपुर			अनुमति नहीं दी ग
21.	गीड ब्राह्मण आयुर्वेद कॉलेज, रोहतक ।	24-5-96	स्वातकीय	अनुमति नहीं दी गा

H.		परिदर्शन की तिथि		.3 41 .151
	0 01 11	101-4	लातकात	र अनुमित नहीं दी गई
22.	भी मारुसिंह मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज, वानपुरकलां	28-5-96	६ स्नातकीय	अनुमित नहीं दी गई
23.	प्रज्ञील समिति आयुर्वेद महाविद्यालय, बीजापुर	1-7-96	स्नातकीय/	3 1111 41 15
24.	Meurenne (Aug.) and		स्नातकोत्तर	CALLED TOPING
25.	भीवएनव्एमव (रुरल) आयुर्वेद कॉलेज, बीजापुर महाराष्ट्र आरोग्य मंडल आयुर्वेद कॉलेज		स्नातकीय	अनुमति दी गई
	हरपार (महाराष्ट्र)	6-7-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
36.	प्रणावण्यक राव मेमोरियल आयुर्वेद कॉलेज			
	गोणा	16-7-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
17.	भश्वनी एजुकेशनल एसोसिएशन आयुर्वेद कॉलेज			
	गावनार	, 15-7-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
28.	ती ए एम ई॰ सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज,	JAMES IN	die een	
	गारावती	16-7-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
19.	गीवपमवप्रवि सोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, होसपेठ	20 1		
10.	बीव मीवपुमव आयुर्वेद कॉलेज, गडग		स्नातकीय	अनुमित दी गई
19:	कालेज आफ आयुर्वेद रिसर्च		स्नातकीय	अनुमित दी गई
	गीला अर्थवी (महाराष्ट्र)	19-7-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
7.	भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आयर्वेट पणे	24-7-96		Maria Salara
3.	गंगा एज्केशन सोसायटी आयुर्वेद	23-7-96		अनुमित दी गई
	वालिज, कोल्हापुर	23-7-96	स्नातकाय	अनुमति दी गई
4,	गणवन्त शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद	22-7-96	Talaalu	
	वालिव, कोडोली	22 / 70	स्मातकाय	अनुमति दी गई
	त्रामान भिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद कॉलेज,	22-7-96	स्नातकीय	2-6-2-6
	वव्यवि		C IICIANA	अनुमति दी गई
	वाचामात्रेच सकपसिंह नायक आयुर्वेद कॉलेज,	15-7-96	स्नातकीय	अनावि ही को
	dig			अनुमति दी गई
1	पति वीरित्रका गोसायटी आयुर्वेद कॉलेज, धुले	16-7-96	नातकीय	अनुमति दी गई
	नाम आयुर्वेद कॉलेज, साकेगांव, भसावल	17-7-96 3		अनुमति दी गई
1	मारा जेवएमवएचव आयुर्वेद कॉलेज, सावन्तवाडी		नातकीय	अनुमित दी गई
2	मापूर्वत महाविद्यालय, पूसद	22-7-96 ₹	नातकीय	अनुमित नहीं दी गई
-	मधीण आयुर्वेद कॉलेज, पातूर		नातकीय	अनुमित नहीं दी गई
1	र्वभागी आपूर्वेत महिला कालेज, मुक्तसर	9-8-96 ₹	नातकीय	अनुमति दी गई
1	मन्यसन्यमन्त्रीन आयुर्वेद कॉलेज एवं	10-8-96 ₹		अनुमति दी गई
	Training, 1919			
		3-10-96 ₹		अनुमति दी गई
-		26-10-96 ₹	गतकीय ः	अनुमति दी गई
-	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	27-10-96 ₹	ातकीय ः	अनुमति दी गई
	Million annile without and	24-9-96 ₹	गतकीय ः	अनुमति दी गई
	A SECRETARIA DE LA CONTRACTOR DE LA CONT		ातकीय ३	अनुमति दी गई
	तिकार कार्यम, भूडजीहरी	6-9-96 F		भनुमति दी गई
	THE RESERVE TO SHARP TO SHARP THE PARTY OF T			The same of the sa

-			AND DESCRIPTION OF THE PERSONS ASSESSMENT	-
क्रम	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन	स्नातकीय/	अनुमति दी गई/
सं.		की तिथि	स्नातकोत्तर	अनुमति नहीं दी ग
51.	बापूजी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, राजेन्द्रनगर शिमोगा	4-11-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
52.	श्री जे०जी० कोआपरेटिव हास्पीटल सोसायटी	5-11-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
32.	आयुर्वेद कॉलेज, घटप्रभा	3 11 70	( 11(1-17) -1	213-114 dt 14
53.	कलाभैरावेश्वरी स्वामी इंस्टीट्यूट ऑफ	30-10-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
	आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज, बंगलौर			
54.	दून आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, देहरादून	20-11-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
55.	सेठ गोबिन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय,	13-9-96	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
	सोलापुर			
56.	श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद कॉलेज, चण्डीगढ़	23-9-96	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
57.	आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक	27-9-96	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
58.	आर॰ए॰पोद्दार मेडीकल कॉलेज, मुम्बई	24-10-96		अनुमति दी गई
			स्नातकोत्तर	
59.	आर॰टी॰ आयुर्वेद कॉलेज, अकोला	29-10-96		अनुमति दी गई
60.	डी॰एम॰एम॰ आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमाल	29-10-96		•अनुमित दी गई
61.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, गुवाहटी	26-10-96		अनुमति दी गई
62.	श्री ओ॰ एच॰ नाजर आयुर्वेद कॉलेज, सूरत	28-10-96		अनुमति दी गई
63.	दयानन्द आयुर्वेद कॉलेज, सीवान	3-12-96		अनुमित दी गई
64.	स्वामी राघवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद कॉलेज, गया	2-12-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
65.	आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज,	29-11-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
	नई दिल्ली विदर्भ आयुर्वेद कॉलेज, अमरावती	00 10 01	स्नातकोत्तर	
66. 67.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती	29-12-96		अनुमित दी गई अनुमित दी गई
68.	गुरु बाल्मीकि महर्षि आयुर्वेद मेडीकल	14-12-96		अनुमति दी गई
00.	कालेज, चित्रदुर्ग			
69.	अमुरुथा मेडिकल कॉलेज, चित्रदुर्ग	16-12-96		अनुमति दी गई
70.	बापूजी आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, चित्रदुर्ग	17-12-96		अनुमित दी गई
71.	एस॰ एस॰ आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, हवेरी	18-12-96		अनुमति दी गई
72.	श्री विजयमनतेश आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज	19-12-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
	इल्कल		_	
73.	देशभगत आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, गोबिन्दगढ़		स्नातकीय	अनुमित दी गई
74.	गुरुनानक फाउण्डेशन आयुर्वेद कॉलेज, मुक्तसर	19-12-96 19-12-96	स्नातकीय	अनुमित नहीं दी ग
75.	श्रीमल रिखबचन्द आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज,	19-12-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
76.	रायचूर कलमथदा पूज्य श्री वीरूपाक्ष शिवाचार्य आयुर्वेद	20 12 06	स्नातकीय	अनुमित दी गई
76.	मेडीकल कॉलेज, रायच्र	20-12-96	सातकाव	जनुमात दा गइ
77.	सेठ जे॰पी॰ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, भावनगर	11-1-97	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी ॥
78.	राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, जूनागढ़		स्नातकीय	अनुमित नहीं दी ॥
79.	गोपबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी	7-2-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
80.	इन्दिरा गांधी मेमोरियल आयुर्वेद मेडीकल	8-2-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
	कॉलेज, भुवनेश्वर	11111		
81.	जे॰ एस॰ आयुर्वेद महाविद्यालय, निडयाड		स्नातकोत्तर	अनुमति नहीं दी ।
82.	राजकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद कॉलेज, अहमदाबाद	20-1-97	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई

11.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई
83. 84. 85.	धन्तति आयुर्वेद कॉलेज, चण्डीगढ़ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, कन्नूर बीकृष्ण राजेन्द्र चेरिटेबल ट्रस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद मेडीसिन एण्ड रिसर्च, बंगलीर	14-2-97 14-10-96 30-12-96	स्नातकीय	अनुमित नहीं दी गई अनुमित दी गई अनुमित दी गई
06.	करण पुजुकशन दृस्ट आयुर्वेद मेडीकल कालेज, कोप्पल।	21-1-97	स्नातकीय	अनुमति दी गई
17.	भी हिंगुलिम्बका एजूकेशन सोंसायटी, गुलबर्ग जीव एसव एसव आयुर्वेद महाविद्यालय, मैसूर भी राषवेद्या आयुर्वेदिक मेडीकल कॉलेज विवद्यं, मालाधीली	20-1-97 31-12-96 14-12-96		अनुमित दी गई अनुमित नहीं दी गई अनुमित नहीं दी गई
0.	एस॰ ए॰ गेडीकल कॉलेज, गुलबर्ग जे॰ एस॰ एस॰ आयुर्वेद मेडीकल कॉलेज, मैसूर गहात्मा गांधी प्रामोदय विश्वविद्यालय, सतारा,	16-12-96 20-12-96 26-11-96	स्नातकीय	अनुमित नहीं दी गई अनुमित दी गई अनुमित नहीं दी गई

### यूनानी

यह निर्णय लिया गया कि वैद्य/हकीमों को मानवजाति के प्रति उनकी सेवाओं के लिए कामगा प्रवास[रहकीम अजमल खां पुरस्कार से सम्मानित किया जाय । यह भी निर्णय लिया गमा कि स्वीकृति और आवश्यक राशि के लिए इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को

या विर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्नातकोत्तर

प्रातकोत्तर पाठाक्रम प्रारम्भ करने की मांग करने वाली भारतीय चिकित्सा पद्धति की पाठाक्रम को एप०डी०/एम०एस० पाठाक्रम के साथ कम से कम एक विषय में स्नातकोत्तर विष्णामा पाठाक्रम प्रारम्भ करने के लिए भी कहना चाहिए।

यत विर्णय लिया गया कि एड्स जैसी बीमारियों से निपटने के लिए और उपचार में आयोगक प्रगतियाँ, चिकित्सा सेवाओं के नए शोधों में जानकारी और प्रशिक्षण देने के लिए कि प्रमुख्या पाठपुक्रम होने चाहिए।

भाषिति ने निर्णय लिया कि इलाज-बिल-तदबीर में क्रियात्मक प्रशिक्षण कामिले-विच्न भी जराहत पाठमक्रम में अनिवार्य भाग होना चाहिए।

वह निर्णय लिया गया कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री/मुख्य सचिव/सचिव स्वास्थ्य/ विकास को इस अनुरोध के साथ पत्र भेजा जाय कि नई यूनानी डिस्पैंसरियां खोली जाएं तथा वृत्तानी किस्पैसरी की संख्या 20 से 50 तक बढ़ा दी जाय । निर्णय लिया गया कि हरियाणा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र द्वारा अनुरोध किया जाय कि अल्प और दीर्घ आधार पर राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति को विकसित किया जाय। प्रारंभ में अन्य राज्यों के यूनानी महाविद्यालयों में बी०यू०एम०एस० उपाधि पाठ्यक्रम के लिए 5-10 छात्रों को नामजद किया जाय और तत्पश्चात् दीर्घ अवधि के आधार पर राज्य सरकार यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास हेतु अपना यूनानी महाविद्यालय प्रारम्भ करें। यह भी संकल्प लिया गया कि जिन राज्यों में कोई महाविद्यालय नहीं है, उन राज्यों के छात्रों को अन्य राज्यों के यूनानी महाविद्यालयों में प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाय।

निर्णय लिया गया कि अच्छे परिणाम हेतु विचार-विमर्श के लिए यूनानी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, विषय के विशेषज्ञों और प्राध्यापकों इत्यादि को भविष्य में होने वाली कार्यशालाओं में विशेष अतिथि के रूप में आमन्त्रित किया जाय।

वर्ष के दौरान निम्न महाविद्यालयों का निरीक्षण हुआ :-

क्रम सं.	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन को तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमित दी गई/ अनुमित नहीं दी गई
1.	इबने-सिना-तिब्बिया कॉलेज एवं अस्पताल, आजमगढ़	24 एवं 25-4-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
2.	र्जंड० एच० यूनानी मैडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, सीवान	4 एवं 5-5-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
3.	जामिया तिब्बिया, देवबन्द	4 एवं 5-6-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
4.	अहमद गरीब यूनानी मैडीकल कॉलेज, अक्कलकुआं, धुले	28 एवं 29-6-96	स्नातकीयं	अनुमित दी गई
5.	कश्मीर तिब्बिया कॉलेज एवं रिसर्च सैन्टर, बाईपास मार्ग, श्रीनगर	2 एवं 3-8-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
6.	राजपूताना आयुर्वेद एण्ड यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जयपुर	24-8-96	स्नातकीय	अनुमित नहीं दी गई
7.	यूनानी तिब्बिया कॉलेज, पुणे	16-8-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
8.	ताज तिब्बिया कॉलेज एवं रशीदिया अस्पताल, नागपुर	23-9-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
9.	एस०एच० यूनानी मेडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, बुरहानपुर	16-9-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
10.	जामिया तिब्बिया रहमानिया यूनानी कॉलेज कन्थारिया, भरूच	9-12-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
11.	अल्लमा इकबाल यूनानी मैडीकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर	7-12-96	स्नातकीय	अनुमित दी गई
12.	निजामिया यूनानी मैडीकल कॉलेज एवं अस्पताल, गया	14-12-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
13.	एस॰बी॰एल॰के॰ यूनानी मैडीकल कॉलेज, 2 बीजापुर	एवं 3-12-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई
14.	मोहम्मदीया तिब्बिया कॉलेज एवं अस्सायार एच० मालेगांव, नासिक	31-12-96	स्नातकीय	अनुमति दी गई

### सि॰द्र

महाविद्यालय में उपलब्ध स्नातकोत्तर सुविधाओं के आकलन हेतु 19-20 दिसम्बर,

### पंजीयन

यह अंकित किया गया कि कुछ राज्यों के अतिरिक्त शेष की मार्च 1991 तक की भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका तैयार हो गई है और अनुरक्षित है। आगे अप्रैल 1991 में भार्च, 1994 तक की अविधि की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। भार्च, 1997 तक के राज्य रजिस्टर की प्रति भेजने हेतु सभी राज्य मंडलों से अनुरोध विशासका है ता सके।

वार विकास किया गया कि पंजीयन सिमिति ने बिहार राज्य के सम्बन्धित सरकारी विकास की सम्बन्धित सरकारी विकास की सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में वार्तिक किया कि लिए एक उप-सिमिति का गठन किया। इस सम्बन्ध में यह अंकित किया विकास के लिए एक उप-सिमिति ने 29-1-97 को निबन्धक राज्य आयुर्वेद एवं वार्ति विकास के लिए गठित उप-सिमिति ने 29-1-97 को निबन्धक राज्य आयुर्वेद एवं वार्ति विकास के लिए गठित उप-सिमिति ने 29-1-97 को निबन्धक राज्य आयुर्वेद एवं वार्ति विकास सिमिति के साथ मुलाकात की ।

भारतीय चिकित्सा गया कि लगभग सभी राज्य मंडल भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के विशेषा का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अधिकांश राज्य अधिनियमों ने अपने राज्य अधिनियमों ने अपने राज्य अधिनियमों ने अपने राज्य अधिनयमों ने अपने राज्य अधिनयमों ने अपने राज्य मामलों की सूची को संशोधित नहीं किया है। कुछ मामलों कि आज भी राज्य मंडल अनुभव के आधार पर पंजीयन दे रहे हैं/

वा निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित राज्य मंडल/राज्य सरकार से अनुरोध किया जाय कि अनुष्य के आधार पर पंजीयन/अनुसूचित करना बन्द कर दिया जाय ।

भारत किया गया कि सारे भारत में अधिसंख्य संस्थान आयुर्वेद में समान भारतमा और अन्य चैकल्पिक पद्धतियां चला रहे हैं और प्रमाण पत्र तथा पंजीयन प्रदान का को । यह निर्णय लिया गया कि ऐसे अवैध/जाली संस्थाओं के विरुद्ध जन-समाज को भारतमा करते हुए विज्ञापन जारी किया जाय ।

## बजट के संसाधन

परिषद् द्वारा अनुमोदित और सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत वर्ष 1996-97 का बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न हैं:-

	THE RESERVE THE PARTY OF THE PARTY.	गैर-योजना रु० लाखों में	योजना रु० लाखों में
1.	बजट प्राक्कलन-वर्ष 1996-97 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	58.74	35.00
2.	बजट प्राक्कलन-वर्ष 1996-97 (मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत)	31.00	30.00
3.	संशोधित प्राक्कलन वर्ष 1996-97 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	42.98	26.42
4.	संशोधित प्राक्कलन-वर्ष 1996-97 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	31.00	20.00
5.	मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान	31.00	20.00

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है । तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाए । केन्द्रीय परिषद् के 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्न है :-

अनुसूचित जाति	titl_pre i	04
अनुसूचित जनजाति	-	02
विकलांग	en andress	02
भूतपूर्व सैनिक	SP TANK OF	01

### भविष्य का कार्यक्रम

- 1. कार्यशालाओं के आयोजन द्वारा आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विद्यमान पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा ।
- 2. भारतीय चिकित्सा के निम्न स्तरीय महाविद्यालयों की कुकरमुत्ता वृद्धि पर रोक ।
- 3. भारतीय चिकित्सा के अयोग्य/अपंजीकृत चिकित्साभ्यासियों द्वारा अवैध चिकित्साभ्यास पर रोक ।
- 4. भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचारगोष्ठी आयोजित करना।
- 5. भारतीय चिकित्सा पद्धति के केन्द्रीय पुस्तकालय की स्थापना । पुस्तकें और पुस्तकालय हेतु आवश्यक साज सज्जा इत्यादि ।
- 6. भारतीय चिकित्सा पद्धति के शिक्षा सम्बन्धी पहलुओं पर वीडियो फिल्म तैयार करना।
- 7. क्षेत्रीय भाषाओं में आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की पाठ्यपुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें तैयार

## कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व नई दिल्ली-110002

प्राप्पाजी 11/एस.ए.आर./के.भा.चि.प./97-98/313

दिनांक: 12-1-99

प्रांत प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रांत प्रमाण पत्र सहित श्री पी. आर. शर्मा, सचिव, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, 61-65 सम्भागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली को उनके पत्र सं. 10-13/96 लेखा दिनांक 30.10.98 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, संबंधित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को पति जाए। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिंदी रूपांतर की जाँच प्रतियाँ भी शीघ्र इस

हस्ता./-मीनाक्षी गुप्ता निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण 11)

ा आ.प. ।।/एस.ए.आर./के.भा.चि.प./97-98/314

दिनांक:

भीत प्रणाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा माणित प्रतिव भी मुनील कुमार राय, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक माणित प्रतिवाद के कार्यालय बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के मिले कि सिपोर्ट (स्वा. नि.) 161-98 दिनांक 23.11.98 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती

पाणालय की टिप्पणियों/अध्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है।

अपूजानकः । यथोपरि

हस्ता./-निदेशक लेखापरीक्षा (निरीक्षण)

## वर्ष 1996-97 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

#### 1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धित के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य मामलों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन वर्ष 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की स्थापना की गई थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन बने परिषद् के विनियम 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार यथा अपेक्षित परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्ष नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धार 19(2) के अधीन की जाती है।

परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यत: भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद को वर्ष 1996-97 के दौरान गैर-योजना के अधीन 31.00 लाख रुपये और योजना के अधीन 20.00 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

#### 2. लेखाओं पर अभिमत

### 2.1 परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन

परिसम्पत्ति लेखा में प्राप्तियों की कीमत दर्शाई गई है और उसमें बेकार, अप्रयुक्त अप्रतिकार्य और निष्प्रयोजित परिसम्पत्तियों को निकाला नहीं गया है और पूंजीगत लेखाओं की तद्नुसार कटौती के साथ अवमूल्यन भी लेखाओं में नहीं लिया गया है। अत: पूंजी और परिसम्पत्ति लेखा तद्नुसार बढ़ा-चढ़ाकर लिखे गए हैं, अत: इससे सही चित्रांकन नहीं हो पाता।

#### 2.2 बैंक समायोजन

भारत सरकार के प्राप्तियां और अदायगी नियम, 1983 के नियम 13.5 के अनुसा प्रत्येक माह/वर्ष की समाप्ति पर बैंक विवरणिका का समायोजन आहरण और संवितरण अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समायोजन में किसी प्रकार के विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और दुरुपयोग हो सकता है जो प्रबन्धक के ध्यान में नहीं असकता है। तथापि, यह देखा गया है कि परिषद् ने वर्ष 1996-97 के दौरान बैंक समायोजनहीं किया है।

परिषद् ने बतलाया (जुलाई 1998) की बैंक समायोजन कर लिया गया है। रिकार्ड की जांच के पश्चात् मालूम हुआ कि परिषद् ने केवल कैश बुक और बैंव विवरणिका में उपलब्ध शेष राशि की भिन्नता निकाली है। दोनों लेखाओं की भिन्नता का समायोजन नहीं किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 12.1.99 हस्ता./-महानिदेशक, लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व

### लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1997 को समाप्त तान वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1997 को गण तुलन-पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जनकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्य-

स्थान । नई दिल्ली विक्रि । 12.1.99 (ह./-) महानिदेशक लेखा परीक्षा केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के

The state of the S	गै	र-योजना	2	गोजना
प्राप्तियाँ	राशि	राशि	राशि	राशि
1.4.96 को आद्य शेष	Par America	recipies per		ar direction
हस्तगत रोकड़	72			
बैंक में नकद	2,49,711	2,49,783	3,21,702	3,21,702
वर्ष 1996-97 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार				
कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायता		31,00,000		20,00,000
अनुदान				
अग्रिमों की वसुली				
पर्व अग्रिम	13,140			
स्कृटर अग्रिम	30,080			
गृह निर्माण अग्रिम	11,400	54,620	6,279	6,279
20 11413 31144	11,400	34,020	0,279	0,279
विविध प्रेषण				
सामान्यं भविष्य निधि	4,13,421			
आयकर	34,576	4,47,997		_
सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय				
अवकाश वेतन अंशदान	1,361			
पेंशन अंशदान	1,154			
के०स०स्वा० योजना का अंशदान	2,565			
कर्मचारियों से अग्रिम पर ब्याज	1,564		_	
बेकार वस्तुओं की बिक्री	32,305		30,000	
के०आयु०एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्			20,000	
संयुक्त बिल्डिंग कम्पलैक्स से वापिसी	1,00,000			
नि० श्रे॰ लि॰ के पद के लिए पोस्टल आर्डर	771	1,39,720	_	30,000
मान्यता शुल्क (1992-93 से 1995-96)	2,67,000			
मान्यता शुल्क 1996-97	3,93,000			
परिदर्शन शुल्क नये महाविद्यालय से 1996-97	4,00,000			
अधिक प्राप्त शुल्क राशि	30,000	10,90,000		

50,82,120

23,57,981

अग्रेनीत शेष

## नई दिल्ली लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

	गै	र-योजना	यो	नना
भवाषामी	राशि	राशि	राशि	राशि
अधिकारियों का वेतन	50,525			
कर्मचारियों का वेतन	5,05,227			
नंत्रमार्थ भवा	8,85,102			
पृश्चादक भवा	1,23,913			
ant ultrac war	21,225			
अन्तरिम सतायता-।	36,195			
maftu umum II	58,737			
arafin mena-m	53,787			
constitut sem	2,400			
अक्रिका अंदी भवा	25,000			
सहय प्रमार पता	1,625			
pord win	1,560			
men stoat afortid	1,440			
ATT.	59,434			
when whight	98,653			
स्टास्टरमाङ योजना अंशदान	38,368			
विकास मात्रा रियायत	26,903			
व्याचामां को मजूरी	65,312			
mahaft am	5,567			
neite.	750	20,61,723		
matture suu				
<ul><li>का अलावती व्यय</li></ul>				
भवीचर और उपकरण	36,620			
अत्रमालय उपकरण	1,69,692	2,06,312		
and a ba	22,68,035			

	गैर-योजना		योजना	
प्राप्तियाँ	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया	5	0,82,120	2.	3,57,981

ACCORDING TO NAME AND ADDRESS OF THE PARTY O	Name and Address of the Owner, where	0	योजना	
राशि	राशि	राशि	राशि	
	22,68,035	10 May 1		
94 343		51 202		
		31,363		
c p io				
12,792		21 <u>2</u> 1		
		4 30 744		
	3.67.331	10.68.840	15,50,967	
			13,30,707	
64,469		_		
70,421		_		
1,91,524				
91,324				
36,760		_		
29,894		_		
61,752				
46,419		-		
9,49,238		_		
59,486		-		
-		1,87,922		
	16,01,287	5,19,217	7,07,139	
13.800				
	1 47 800			
70,000	7,77,000			
	94,343 38,670 19,465 6,035 3,820 40,565 13,698 37,600 6,545  12,792 9,496 71,151 13,151 —— 64,469 70,421 1,91,524 91,324 36,760 29,894 61,752 46,419 9,49,238	22,68,035  94,343 38,670 19,465 6,035 3,820 40,565 13,698 37,600 6,545  12,792 9,496 71,151 13,151 ———————————————————————————————————	Tify     Tify       22,68,035       94,343     51,383       38,670     —       19,465     —       6,035     —       3,820     —       40,565     —       13,698     —       37,600     —       6,545     —       12,792     —       9,496     —       71,151     4,30,744       13,151     —       —     3,67,331     10,68,840       64,469     —     —       70,421     —     —       1,91,524     —     —       91,324     —     —       36,760     —     —       29,894     —     —       61,752     —     —       46,419     —     —       9,49,238     —     —       59,486     —     —       —     1,87,922     —       —     16,01,287     5,19,217	

***************************************	191216	100	गैर	-योजना	यो	जना
प्राप्तियाँ	with the same of t	iem	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया	100 Bar 1			50,82,120		23,57,981

		गैर	-योजना	योजना	
High	ml the state of the state of	राशि	राशि	राशि र	ाशि
5,	हाक टिकट अग्रिम		5,000		
6.	महाविद्यालय को मान्यता शुल्क				
	लौटाया गया		2,000		
1	विविध प्रेषण				
	सामान्य भविष्य निधि	4,13,421			
	энчах	34,576	4,47,997		_
h	पेंशन निधि में अंशदान		42,250		_
1	गामान्य भविष्य निधि पर ब्याज		36,579		
10.31	03, 1997 को अंत शेष				
	संस्तागत रोकाइ	21,724		200 1028/081 200 00	
	में म मं मकद	1,42,117	1,63,841	99,875 99,8	875

50,82,120

23,57,9

50,82,120

23,57,981

कुल

भारतीय चिकित्सा 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के

			(-योजना		ोजना
व्यय		राशि	राशि	राशि	राशि
1.	वेतन एवं भत्ते				
	अधिकारियों का वेतन	50,525			
	कर्मचारियों का वेतन	5,05,227			
	मंहगाई भत्ता	8,85,102			
	गृहभाटक भत्ता	1,23,913			
	नगर प्रतिकर भत्ता	21,225			
	अन्तिरिम सहायता-I	36,195			
	अन्तिरिम सहायता-II	58,737			
	अन्तिरिम सहायता-III	53,787			
	स्नातकोत्तर भत्ता	2,400			
	चिकित्सा बंदी भत्ता	25,000			
	वाहन प्रभार भत्ता	1,625			
	धुलाई भता	1,560			
	शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	1,440			
	बोनस	59,434			
	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	98,653			
	के०स०स्वा० योजना अंशदान	38,368			
	अवकाश यात्रा रियायत	26,903			
	कर्मचारियों को मजूरी	65,312			
	समयोपरि भत्ता	5,567			
	मानदेय	750	20,61,723		
2.	आकस्मिक व्यय				
	लेखन सामग्री	94,343		51,383	
	दूरभाष	38,670		_	
	डांक एवं तार	19,465		_	
	समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	6,035		_	
	यूनीफार्म प्रभार	3,820		_	
	लेखा परीक्षा शुल्क	40,565		_	
	मुद्रण व्यय	13,698		_	
	विधि सम्बन्धी व्यय	37,600		_	
	विज्ञापन	6,545		_	
	कार्यालय उपकरणों का और भवन				
	का रख-रखाव	12,792		_	
	वाहन प्रभार	9,496		_	
	विविध प्रभार	71,151		4,30,744	
	स्टाफ कार प्रभार	13,151		_	
	प्रकाशन		3,67,331	10,68,840	15,50,967
	अग्रेनीत शेष		24,29,054		15,50,967
			21,27,001		,

## के बीय परिषद् , नई दिल्ली लिए आय और व्यय का लेखा

2000	- 1	ोर-योजना	योजना
allel	राशि	राशि	राशि राशि
वर्ष 1996-97 के दौरान	Allegan		State
स्वारम्य एवं परिवार			industrial and a second
महाभाग भीतालय नई			dials tellpisses
विकारी से प्राप्त सहायता अनुदान	31,00,000	PORT 15 (8)	20,00,000
मजारी प्रीमात अनुदान	2,06,312	28,93,688	— 20,00,000
fafas urbaut	1989		Control of the second
organial dura standa	1,361		of Side world
fort almost	1.154		
क्रिकार की जाता का अंशहान	2,565	1072.45	A Pale north
अविकासिनी से अधिम पर ब्याज	1,564		6,279
test regalf of fund	32,305	GOVER W	30,000
मा आपू पर्च विद्ध अनुसंधान	Tongo Karangan		20,000
offing signa fullratu		क्षात्र क्ष	es la recipiada de
व्यानीवात से वाधियों	1,00,000		表数 <b>企</b> 业 66
व बैं कि के पर के लिए			metic it wish and it
Arrive hards	771	1,39,720	
पान करने भोग्य भाग्यता शुल्क			e for the Hospina of
998 97 W TONG	15,27,000		
188 96 Ar force		15,70,000	
एवं के व्यव की अधिकता		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	£ 2,21,827
			,,
i da du	44.00		
	46,03,408		22,58,106

गैर-योजना योजना राशि राशि राशि

राशि व्यय पीछे से लाया गया शेष 24,29,054 15,50,967 3. यात्रा प्रभार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 64,469 सचिव/कर्मचारी 70,421 कार्यकारिणी समिति के सदस्य 1,91,524 शिक्षा समिति (आयुर्वेद) के सदस्य 91,324 शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य 36,760 वित्त समिति के सदस्य 29,894 विनियम समिति के सदस्य 61.752 उप-समिति के सदस्य 46,419 परिदर्शन समिति के सदस्य 9,49,238 परिषद् के सदस्य 59,486 आयुर्वेद एवं यूनानी पर कार्यशाला 5,19,217 रजत जयन्ती के सदस्य 16,01,287 1,87,922 7,07,139 महाविद्यालय को वापिस किया गया मान्यता शुल्क 2,000 5. पेंशन निधि में अंशदान 42,250 6. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज 36,579

	गैर-	योजना	यो	जना
"	राशि	राशि	राशि	राशि
ते से लावा गया शेष	4	6,03,408		22,58,106

कुल

7. व्यय से आय की अधिकता

46,03,408

4,92,238

22,58,10

46,03,408

22,58,106

## भारतीय चिकित्सा 31 मार्च, 1997 को

		4 1	Fig. 3.	
दायित्व		गैर-योजना	-	योजना
पापाप	राशि	राशि	राशि	रार्ग
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त परिस	<b>ां</b> पत्तियां			
गत तुलन-पत्र के अनुसार	20,080.15			-
शासकीय अनुदान से प्राप्त				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	3,03,568.30		5,60,906.32	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,06,312.00	5,09,880.30	2441	5,60,906.3
3114.24			~ 1	
उपकुल		5,29,960.45		5,60,906.3
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		2 41 662 00		
घटाएँ-आय से व्यय की		3,41,662.00		
अधिकता			2 21 927 00	1 10 025 0
			2,21,827.00	1,19,835.00
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	13,82,881.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	4,92,238.00	18,75,119.00		
मान्यता शुल्क				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,29,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	30,000.00	1,59,000.00		
				12.00
				3/4/11/
				5000
अग्रेनीत शेष	25,64,079,45		7	5,80,741.32
				10011-1101

hild	141	u	रेषद्	नई	दिल्ली
1111	dia	1	पन		

(\$10 M)

		गैर-योजना		योजना
frainfinal	राशि	राशि	राशि	
m ) armenter ugsfrr			(114)	(118
भवींचा एवं उपस्कर				
and the same of animal and	1 577 747			
वर्ष के बीसव जोड़ा गया	1,57,260.65		42,687.76	
margation augent	36,620.00	1,93,880.65		42,687.76
an dear as at states.				
		23,640.73		26,789.80
Amarina at tool deug	N .			
वित पूर्वत पर के अपूर्वत		30,574.91		
minjan anator				
an dead an pt suding	1,12,172.16		4,91,428.76	
वर्ष के बीसन जीवा गया	1,69,692.00	2,81,864.16		4,91,428.76
11 911		5,29,960.45		5,60,906.32
( ) small upfa				
411114				
the diese has pe sudme		9,228.00		19,960.00
ted inflor				17,700.00
to gette the fir organic	10,620.00			
वर्ष के बीचन जीवा गया	13,800.00			
	24,420.00			
the fee ends at the				
	18,140,00.	11,280.00		
THE SHOW	-			
the gard the fire sequent	8,250.00			
of 8 due sharing	38,000.00			
	46,250.00			
186 14 A day				
शे भी मध्ये	30,080,00	16,170.00		
DE REAL ENGINEE		5,000.00		

5,71,638.45

5,80,866.32

	गैर-योजना योजना	
दायित्व	राशि राशि	राशि राशि
पीछे से लाया गया शेष	25,64,079.45	6,80,741.32

	गैर	-योजना	योज	ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE
परिसंपत्तियां	राशि	राशि	राशि	राशि
पीछे से लाया गया शेष	ST. ALL THE	5,71,638.45	5,8	30,866.32
5. गृह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	1,15,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	96,000.00			
	2,11,000.00			
वर्ष के दौरान की गई वसूल	ती 11,400.00	1,99,600.00		
6. मान्यता शुल्क				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	11,19,000.00			
वर्ष के दौरान की गई वसू	ली 2,67,000.00			
	8,52,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	7,77,000.00	16,29,000.00		
7. 31.3.97 को अन्तः <b>इ</b>	रोष			
हस्तगत रोकड़	21,724.00		99,875.00	99,875.
बैंक में नकद	1,42,117.00	1,63,841.00	99,875.00	77,073

事件

25,64,079.45

6,80,741.32

## भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि - स्वार्थ
1.4.96 को बचत खाते में आद्य शेष	BLOCK STRIFFS AND AND TO BE SEEN TO SEE THE SE
बैंक ऑफ इण्डिया स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	6,049.30 97,379.20 1,03,428.50
वर्ष के दौरान अंशदान बैंक से अर्जित ब्याज अल्पावधि जमा योजना की परिपक्वता पर	42,250.00 40,289.20 9,00,000.00

भाजीय	परिषद्, नई दि	ल्ली
गान्त्री	निधि	
murai	एवं भुगतानों क	ा लेखा

diunia	राशि	राशि
क्रांचाएगं को मासिक पैंशन	daya, dika rewasa dan dijan erebi di be	92,769.00
भवित्राम्यां को अन्तिम अदायगी अन्याचीम जमा योजना में विनियोजन		4,30,543.00
वसर कार्न में ३१,३,97 को अन्त: शेष		
व्यक्त क्षेत्र क्षापा इण्डिया में	2,06,606.40	
## after afterent if	6,049,30	2,12,655.70

कल

10,85,967.70

10,85,967.70

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च, 1997 को यथा

केन्द्रीय	परिषद्,	नई	दिल्ली
गेच्युटी			
तुलन-प	ात्र		

1995-96	दायित्व	राशि	राशि	1995-96	परिसंपत्तियां		
8,00,989.30	गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	10,53,428.50	The Section 2	1773-76	विनियोजन	राशि	राशि
				7,50.000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	9,50,000.00	
2,59,918.00	अंशदान	42,250.20		2,00.000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	3,50,000.00	
31,178.20	ब्याज	40,289.20		9,50,000.00		13,00,000.00	
10,98,085.50		11,35,967.70					
				_	घटाएँ - विमोचित	9,00,000.00	4,00,000.00
44,657.00	घटाएँ-विमोचित	5,23,312.00	6,12,655.70			c -	
10 52 429 50				9,50,000.00			
10,53,428.50							
				1,03,428,50	बचत खाते में 31.3.97 का अ	न्तः शेष	2,12,655.70
10.52.420.50							
10,53,428.50	कुल		6,12,655.7	10,53,428.50	कुल		6,12,655.70

भारतीय चिकित्सा सामान्य 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियाँ	राशि	राशि
बचत खाते में 1.4.97 को आद्य शेष		51,668.28
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	2,37.541	
कर्मचारियों से ऋण वसूली	1,94.680	4,32,221.00
अल्पावधि परिपक्व विनियोजन	- /	13,00,000.00
बैंक से अर्जित ब्याज	1,36,243	_
केन्द्रीय परिषद् से अर्जित ब्याज	36,579	1,72,822.00
कुल		19,56,711.28

## केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भविष्य निधि प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि	राशि
अल्पावधि जमा योजना में विनियोजन	endagen en e	9,00,000.00
कर्मचारियों को अग्रिम		1,55,900.00
आंशिक अन्तिम निकासी	क्षेत्र क्षात से क	6,76,013.00
31.3.97 को बचत खाते में अन्तः शेष	67,87850 16709	2,24,798.28
10.786.93.15 to epon 10.796.93.15 to epon 10.796.93 to epon	San Marie Marie	20,176,39,1 20,176,39,1
पुरा		19,56,711.28


## भारतीय चिकित्सा सामान्य 31 मार्च, 1997 को यथा

राहि	राशि	दायित्व	1995-96
	17,43,898.28	गत तुलन-पत्र के अनुसार	15,37,679.28
		वर्ष के दौरान जोड़ा गया	
	2,37,541.00	अंशदान	2,05,179.00
	1,72,822.00	ब्याज	1,61,413.00
	21,54,261.28		19,04,271.28
14,78,248	6,76,013.00	घटाएँ-निकासी	1,60,373.00

## काजीय परिषद्, नई दिल्ली भविष्य निधि क्लन-पत्र

1995-96	परिसंपत्तियां	राशि	राशि
1,70,500.00	विनियोजन     कि विशेष जमा योजना     गत-तुलन-पत्र के अनुसार		1,70,500.00
9,60,000.00	(ख) मासिक आय पत्र/ अल्पावधि जमा गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	13,00,000.00	
7,75,000.00 17,35,000.00 4,35,000.00		22,00,000.00	9,00,000.00
3 60 730 00	घटाएं वर्ष के दौरान विमोचित 2. कर्मचारियों को ऋण गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,21,730.00	
1,40,500.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,55,900.00 3,77,630.00	
1,79,500.00 51,668.28	की गई वसूली	1,94,680.00	1,82,950.00 2,24,798.28
51,668.29			14,78,248.2
17,43,898.2	8 कुल		

## CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



### CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

## ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1996-97

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 vide Governor of India Gazette Notification Extraordinary Part II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Central Council was reconstituted in 1984 & 1995.

The main objects of the Central Council are as under:

- i) To prescribe minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.
- ii) To advise Central Government in matters relating to recognition withdrawal of medical qualifications in Indian Medicine.
- the Register from time to time and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum & Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved Siddha and Unani Tibb at Under-graduate and Post-graduate level.

All the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum and syllabus prescribed by the Central Council.

The Central Council decided to review the Curriculum & Syllabus already prescribed. It was decided to organise workshops to review the Curriculum & Syllabus of different subjects of Ayurved, Siddha & Unani Tibb. Accordingly, workshops are being organised for the purpose of Under-graduate & Post-graduate courses. During the year two workshops of Ayurved & three Workshops of Unani have already been organised. Workshop on Siddha education will be organised shortly.

The Central Council of Indian Medicine has from time to time reviewed the condition for opening of new Colleges in the Indian Systems of Medicine. After delibration on the issues, the Central Council has decided that an Institution desirous to start a New College

heald fulfill the following conditions:

- No College of Indian Medicine can be started without the prior approval of Central Council of Indian Medicine.
- Non Government Organisation) desirous of starting the college should approach Central Council through respective State Government Organisation.
- The competent authority of State Government/Union Territory adminliteration must indicate in clear terms whether they are or not in favour of starting of college managed by a Non-Government Organisation.
- The management of the college (Government or Non-Government Organisation) must submit willingness in writing, the willingness of University concerned to grant affiliation if Central Council permits to start the college.
- The Management of college (Government or Non-Government Organisation) should submit the detailed particulars of staff, space and equipments as recommended by Central Council and number an undertaking for phased implementation of minimum atmodards as prescribed by CCIM within stipulated period.
- The Management of college (Government or Non-Government Organisation) must satisfy Central Council about possessing enough facilities to undertake the degree course.
- The Management must provide adequate facilities of administralive and teaching required in the beginning of the degree course as per the recommendations.
- If the college must give an undertaking to admit number of students only as per student-bed-ratio of 1:5.
- There should be a 100 bedded Ayurved/Siddha/Unani Tibb. hospital with the facility of OPD and other requirement which may be extended to fulfil all future requirements.
- The Management of the College must submit plan for the construction of fullfledged hospital to be completed by the 3rd year of degree course and to appoint competent personnel.

#### CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation & maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of the Central Council. As per provision the Central Council is maintaining in the prescribe manner, a register of Indian Medicine which is containing the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine & who possess any of the recognized medical qualification included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The Central Council is maintaining the Central Register of Indian Medicine & updating of the same is a continuous process.

The Council has already prescribed minimum standards of education and syllabii for studies. To verify the actual observance of these standards the Council has been sending teams of members to visit the educational institutions in the country. These teams submit report to the Council pointing out shortcoming. Directives are being sent to the institution to remove the shortcomings within a specified period or face stoppage of admission in the next session. It is very heartening to note that these visits are bearing fruits.

To assess the present status of Indian Systems of Medicine College at a glance the decision to carryout mass visitation of colleges was taken by the Central Council of Indian Medicine. In compliance of the same 92 Ayurved & 14 Unani colleges were visited during the year to assess available facilities of teaching & practical training & infrastructure inconfirmity with the minimum standards & requirements laid down by the Central Council.

Central Council of Indian Medicine has completed its 25 years of existence. It was decided to observe 1997 as its Silver Jubilee year. Silver Jubilee was celebrated on 20th March, 1997. Shri Saleem Iqbal Sherwani, Minister of State for Health & Family Welfare, Govt. of India, inaugurated the Silver Jubilee celebration. Smt. Shanta Shastri, Shri Pradeep Bhargava, Secretary & Joint Secretary respectively, Deptt. of ISM&H. Ministry of Health & Family Welfare. Govt. of India and many eminent physicians and scholars of ISM & other dignitories graced the occasion. For special lectures were delivered by eminent scholars of ISM, Vaidyaraja Brihaspati Dev Triguna & Acharya P.V. Sharma (Banaras) spoke on Ayurveda, Hakim M.S. Usmani on Unani and Dr. J.R. Krishnamurthy on Siddha Medicine.

Dr. Madan Sarup Gupta the only member of Central Council of Indian Medicine who completed 25 years as a regular member of CCIM and has been rendering valuable service to the CCIM, all former Presidents, Vice-Presidents. Registrars of CCIM & other dignitories who contributed to their best for the Indian Systems of Medicine were honoured.

Annual meeting of CCIM was held on 18th & 19th March, 1997. Smt. Shanta Shastry, Secretary, Deptt. of ISM&H. Ministry of Health & Family Welfare. Govt. of India, addressed the Council on 18th March, 1997. In her address, she said that her department is there for promotion and development of ISM in the country. It wants to give all help and encouragement to these disciplines. She wanted educational institutions of ISM for Undergraduate as well as Post-graduate standard to maintain minimum standards of education as prescribed by Central Council of Indian Medicine. She alterned the need to check the mushroom growth of these institutions of ISM who did not have the equipped facilities.

The Council resolved that a letter may be sent to State Governments that members of Central Council may be associated in all the Committees constituted by State Governments for promotion and development at Indian Systems of Medicine.

The Central Council decided that a letter be written to Maharashtra to the Central Council decided that a letter be written to Maharashtra to the Central and promotional avenue to the Unani and the equivalent to the Ayurvedic and other graduates so that the parity and be maintained among the graduates of ISM at all levels.

### ADMINISTRATIVE REPORT

# COMPOSITION OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The following are the members of the Third constituted Central Council:

#### AVURVED

- 1. Dr. Marry Vaman Reddy
- ) Dr. Siyanandam
- 1 Dr. Gajendra Bharali
- 1 Dr. Deovrat Narayan Singh
- A. Dr. Maheshwar Pandey
- 6. Dr. Indra Mohan Jha
- 7. Dr. Alakh Narayan Singh
- N. Dr. Om Prakash Vashisth
- 9. Dr. Patel Arvind Keshavlal
- 10. Dr. Bhuptani Ramesh Chandra Amrut Lal
- 11. Dr. Pawan Kumar Vashisth
- 12. Dr. Dev Narayan Sharma
- 13. Dr. Rudramani Sharma
- 14. Dr. Gyan Chand
- 15. Dr. Jayaprakash Narayan
- 16. Dr. S.V. Savadi

17. Dr. Rajagopalan K. 18. Dr. D. Ramanathan 19. Dr. Ranvir Singh Parihar 20. Dr. Pramod Kumar Jain 21. Dr. Rajesh Shukla 22. Dr. Satish Dutt Garg 23. Dr. Gyan Kumar Ahuja 24. Dr. Shah Kishan Vithaldas 25. Dr. Yadav Ramesh Krishna 26. Dr. N.V. Salgarkar 27. Dr. Ghanshyam Mishra 28. Dr. Jagjeet Singh 29. Dr. Mukesh Walia 30. Dr. Ved Prakash Tyagi 31. Dr. Mahendra Kumar Sharma 32. Dr. Raghunandan Sharma 33. Dr. P. Narayanan 34. Dr. Mukesh Sharma 35. Dr. Patanjali Dwivedi 36. Dr. Vachaspati Trivedi 37. Dr. Bhrigupati Pandey 38. Dr. Kishore Mohan 39. Dr. Swapan Kumar Bhunia 40. Dr. Ramesh Chandra Bhattacharjee 41. Dr. K.K. Zala 42. Dr. Sukhdev Raj Vats 43. Dr. S.C. Hugar 44. Dr. K.R. Ramachandra 45. Dr. B.G. Gopinath 46. Dr. Sangappa S. Hosmani 47. Dr. P.K. Warrier 48. Dr. P. K. Mohan Lal 49. Dr. Anand Swaroop Upadhyay 50. Dr. T.M. Pawar 51. Dr. R.V. Sehgaura 52. Vaidya Dinanath R. Upadhyay 53. Vaidya G.P. Upadhyay 54. Vaidya Rohidas Sambhu Patil 55. Vaidya Mohan Narayan Tambe 56. Dr. Kailash Chandra Padhi 57. Vaidva Ram Bharosi Mishra 58. Dr. D. Athysaya Raj 59. Dr. Sarva Dev Upadhyay 60. Dr. Lakshmi Narayan Maity 61. Dr. T. Kishan 62. Vaidya S.P. Bhattacharya

ht. Dr. S.N. Parchure

ni, Vaidya I. Sanjeeva Rao

na. Vaidya S.K. Sharma

Naidya S.K. MishraNaidya Devendra Kumar Triguna

M. Vaidya G.L. Chanana

60 Prof. Kulwant Singh

W Valdya S.C. Sankhyadhar

71. Prof R. Bharat Rajan

Vaidya Sriram Sharma Vaidya S.K. Sharma Chhangani

11 Vaidya Sanjay Janardan Tilak

M Vaidya Abdul Wahid

M Dr. Ved Vrat Sharma

17 Dr. C.H.S. Shastri

M. Valdya Hari Narain Swami

M. Vaidya B. Vaidyanathan

III Prof. Jyotir Mitra

#1 Valdya Sadhna Mishra

W Valdya Balendu Prakash

#### BIDDHA

M. Dr. V. Stanley Jones

MI Dr. S. Gopalakrishnan

MA. Dr. V. Arunachalam

Mn Dr. V. Subramanian

N. Dr. M.A. Kumar

#### UNANI

III. Dr. S.S. Rawat

W Hakim Farooq Ahmed Abdul Aziz

III Dr. Daulat Ram Bharaj

WI Dr. Vinod Pundir

II) Dr. Bansilal Pandit

11. Prof. Hakim S. Shaji Hyder

194 Dr. Md. Akhthar Masood Siddiqui

WA Prof. Hakim Abdul Mobin Khan

Un Hakim Ved Prakash Sharma

W7 Hakim Saud Ali Khan

Dr. K. Shafiullah Khan

99 Hakim Shamin Ahmed

Hill Hakim Hafiz S. Habibur Rahman

1111 Hakim Syed Faizan Ahmed

102 Dr. Tahera Banu

- 103. Prof. Jamil Ahmed
- 104. Hakim Mohd. Ashraf Karim
- 105. Dr. Syed Shahabul Haq
- 106. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad
- 107. Hakim Syed Shah Mutazibuddin Quadri
- 108. Hakim Abdullah Khan
- 109. Hakim Syed Imamuddin Ahmed
- 110. Dr. Abu Bakar Khan
- 111. Dr. Madan Sarup Gupta
- 112. Hakim A.J. Khan
- 113. Hakim (Mrs) Alia Aman
- 114. Dr. Ram Ditta Sharma
- 115. Prof. Hakim Khaleefathullah
- 116. Hakim Saifuddin Ahmed

#### OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of Central Council of Indian Medicine:

1. \	Vaidya Sriram Sharma	President
2. \	Vaidya Shiv Karan Sharma Chhangani	Vice-President (Ayurved)
3. [	Dr. V. Subramanian	Vice-President (Siddha)
4. F	Prof. Hakim Abdul Khan	Vice-President (Unani)
5. Y	Vaidya Devendra Kumar Triguna	Member, Executive Committee
6. I	Or. Pramod Kumar Jain	—do—
7. I	Or. Sivanandan	—do—
8. 1	Vaidya Raghunandan Sharma	—do—
9. I	Dr. M.A. Kumar	—do—-
10. [	Or. Madan Sarup Gupta	do
11. F	Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad	—do—

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council has the following main three committees, namely:

- 1. Avurved Committee
- 2. Siddha Committee
- 3. Unani committee

The above Committees consist of members elected under clause (a). (b). and (c) of Sub-Section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Tibb Systems of Medicine respectively.

The Vice-President for each of the Ayurved, Siddha and Unani Tibb

Systems of Medicine are respectively the Chairman of the Committees

Subject to such general or specific directions as the Central Council may give from time to time, each Committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani, Tibb Systems of Medicine as the case may be within the competence of the Central Council.

#### **EXECUTIVE COMMITTEE**

The Executive Committee has been constituted in accordance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made theremoder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by members of all three anatoms of Indian Medicine i.e. Ayurved. Siddha and Unani Tibb.

The Central Council has also constituted the following Committees under Section 10 of the IMCC Act. 1970 to carry out various functions.

### REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee has been constituted by the Central Council to draw the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:

I. Vaidya I. Sanjeeva Rao	Chairman
Dr. Ved Prakash Tyagi	Vice Chairma
J. Dr. BRC Amrutlal	Member
I. Dr. P. Narayanan	, , , , ,
5. Dr. Rajesh Shukla	,,
6. Dr. Alakh Narayan Singh	"
7. Dr. S.C. Hugar	**
N. Dr. Gyan Kumar Ahuja	"
9. Dr. A.S. Upadhyay	,,
10. Dr. S.K. Bhunia	**
II. Dr. R.K. Yadav	"
12. Dr. K.C. Padhi	,,,
13. Dr. S. Gopalakrishnan	**
13. Dr. S. Gopalakrishnan	

14. Hakim Syed Imamuddin Ahmad 15. Hakim S. Shafiullah Khan	Member
16. Dr. Bansilal Pandit	"
17. Dr. Daulat Ram Bharaj	the bar white he was
18. Dr. S.S. Rawat	Second was a second
19. Dr. Mukesh Sharma	urbana van de

## REGISTRATION COMMITTEE

The Central Council constituted Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications into IInd Schedule to the IMCC Act, 1970 and to make recommendations in this context. The consideration of the matter relating to registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of the Registration Committee:

The second of th	ic Registration Commi
<ol> <li>Dr. Jayprakash Narayan</li> <li>Dr. A.K. Patel</li> <li>Dr. Dev Narain Sharma</li> <li>Vaidya P.K. Vashisth</li> <li>Dr. Satish Dutt Garg</li> <li>Dr. D. Ramanathan</li> <li>Dr. B.G. Gopinath</li> <li>Dr. R. Bharat Rajan</li> </ol>	Chairman Vice Chairman Member " " " "
9. Dr. D. Athysayaraj	West 2001 Washington
<ul><li>10. Vaidya Rohidas S. Patil</li><li>11. Dr. Gyan Kumar Ahuia</li></ul>	"
12. Dr. N.V. Salgarkar	and sear in the search
13. Dr. M. Vaman Reddy	"
14. Dr. Patanjali Dwivedi	an we are the second
15. Dr. Vachaspati Trivedi	Town I decided by
16. Dr. R.D. Sharma	* 46.00
17. Hakim Akhtar Masood Siddiqui	" my man
18. Hakim Saud Ali Khan	" which the
9. Dr. Stanley Jones	The first secretary and a

### FINANCE COMMITTEE

The Central Council constituted the Finance Committee to look into the tinancial matters of the Central Council.

The following are the members of Finance Committee:

1. Vaidya G.L. Chanana	Chairman Vice Chairman
Hakim Abu Bakar Khan Dr. M.A. Kumar	Member
1. Vaidya Mukesh Walia	**
5. Dr. S.C. Sankhyadhar 6. Dr. K.R. Ramchandran	
7, Dr. D. Ramanathan B. Dr. S.S. Rawat	enarbit St. 6 km (Ch. gr. 17)
9. Hakim Mohd. Shaikh Arshad	grand , mr. (S. X. )
10. Vaidya Sadhna Mishra 11. Dr. K.V. Shah	**************************************

# EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are dealing with all matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani:

#### AVURVED

<ol> <li>Vaidya S.K. Mishra</li> <li>Vaidya S.K. Sharma Chhangani</li> <li>Dr. C.H.S. Shastry</li> <li>Vaidya S.K. Sharma</li> </ol>	Chairman Ex-officio Member Member
Vaidya Shah Kisan Vithaldas     Vaidya Jagjeet Singh	end will make the law and
7. Dr. Ghanshyam Mishra	
N. Vaidya Hari Narain Swami 9, Dr. L.N. Maity	and when make the
10. Vaidya K.K. Zala 11. Prof. Kulwant Singh	"
12. Dr. Rudramani Sharma 13. Dr. Sangappa S. Hosmani	. Ann marketten see
14. Dr. S.V. Savadi 15. Dr. O.P. Vashisth	at jarvenas Prouse ().
16. Dr. Sukhdev Raj Vats 17. Dr. R.C. Bhattacharya	, and deliber
18. Dr. K. Rajagopalan	200 39 11 200

14	
19. Vaidya Gauri Lal Chanana	Member
20. Dr. D. Ramanathan	"
21. Prof. Jyotir Mitra	
22. Vaidya A.S. Upadhyay	
23. Dr. R.S. Parihar	"
24. Dr. R.V. Sehgaura	The second of the second
25. Dr. Bhrigupati Pandey	"
26. Dr. Ved Prakash Tyagi	The second of the second
27. Dr. Kishor Mohan	The second second

#### **SIDDHA**

I D. W.C.L.	Cl
1. Dr. V. Subramanian	Chairman
2. Dr. V.Arunachalam	Vice Chairman
3. Dr. S. Gopala Krishnan	Member
4. Dr. M.A. Kumar	"
5. Dr. V. Stanley Jones	,,

#### UNANI

1.	Prof. Hakim Jamil Ahmed	Chairman
2.	Prof. Hakim. Shahabul Haq	Vice Chairman
3.	Prof. Hakim S. Shaji Hyder	Member
4.	Prof. Hakim S. Imamuddin Ahmed	,,
5.	Hakim A.J. Khan	,
6.	Hakim Saud Ali Khan	"
7.	Hakim Ved Prakash Sharma	,, 22, 20, 11
8.	Hakim Mohd. Ashraf Karim	"
9.	Prof. Hakim Abu Bakar Khan	
10.	Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad	,,
11.	Hakim (Mrs) Alia Aman	
12.	Dr. S.S. Rawat	**
13.	Hakim Bansilal Pandit	
14.	Hakim (Mrs.) Tahera Banu	"
15.	Dr. Madan Sarup Gupta	**************************************
16.	Hakim K. Shafiulla Khan	was " was a constitution of
17.	Hakim Shamim Ahmed	
18.	Hakim Hafiz S. Habibur Rahman	"
19.	Prof. Hakim Abdul Mobin Khan	Ex-officio Member

During the year 1996-97 the following meetings were held:

Central Council of Indian Medicine	One
2. Ayurved Committee	One
3. Siddha Committee	One
4. Unani Committee	One

	Five
A Executive Committee	One
6 Registration Committee	Two
7 Regulation Committee	Two
W Plannee Committee	Two
W. Education Committee (Ayurveu)	One
La Education Committee (Siddia)	One
Committee (Ullain)	
Meeting of Sub-Committee of Editor	Five
A WILLIAM (AVIIIVEII)	1110
Workshop on Syllabus of Samma, Terras	
Maulik Siddhant of	One
L. Lawre Course	Offic
to review the Syllabus to	
that of Rachna Sharif &	0
A vurvedacharva Course	One
Workshop for Syllabus for Graduate	
! Unont 11DD	One
Course in Chain Floor  To Workshop on Curriculum of Post-	
16. Workshop on Curredian Tibb	One
graduate Course in Unani Tibb	
17 Workshop on Curriculum & Minimum	
Standard for Graduate Course in	One
Unani Tibb	
Unani Tibb  18. Meeting of Sub-Committee of Regis-	One
tration Committee	

The salient features of recommendations made by the Council are as

Right & privilege of Indian Systems of Medicine practitioners have been considered by the Central Council of Indian Medicine time to time & many resolutions to define the Indian Systems of Medicine have been passed time to time. After going through the all pros and cons of the IMCC Act, 1970 passed the following resolution:

"Institutionally qualified practitioners of Indian Systems of Medicine (Ayurvedic, Unani Tibb & Siddha) and those covered under Indian Medicine Central Council Act, 1970, are eligible to practice Indian Systems of Medicine and Modern Medicine, which is commonly known as Modern Medicine System of Medicine including Surgery, Gynaecology and Obstet-lies, based on their training and teaching. This training and teaching is included in the syllabus of Central Council of Indian Medicine."

The Central Council passed the resolution regarding inclusion of practitioners of Indian Systems of Medicine in the medical termination of Preg-

et, 1971. Transplantation of Human Organs Act, 1994 and Prensist Diagnostic Techniques (Regulation & Prevention from misuse) Bill, 1994

Regarding establishment of Post-graduate Institutions/Departments of Indian Systems of Medicine without having Under-graduate course, the issue was discussed at great length & it was decided that the permission in starting Post-graduate course may be given to that Institution which fulfills the norms of Post-graduate course prescribed by the Central Council at Indian Medicine. It was further decided that permission for Establishment of Centre of Excellence for Post-graduate Education & Research can be grant ed without having Under-graduate course of Indian Systems of Medicine Minimum Standards & requirements for such institution laid down by the Central Council of Indian Medicine will be strictly adhered to.

The Central Council decided the issue regarding increase in the amount of Recognition & visitation fee from Indian Systems of Medicine Colleges from 1997-98 as under:

A. Rs. 10,000/- from Under-graduate Colleges.

B. Rs. 5,000/- per speciality from Post-graduate Departments.

C. Rs. 50,000/- from New Colleges

Decided that no permission for admission of students in Post-graduate course in the State Rishikul Ayurved College, Haridwar and State Lalli Ayurved College, Pilibhit be granted.

Decided that the Post-graduate course in Govt. Ayurved College Gwalior and Raipur be stopped immediately as there are no facilities for teaching and practical training at Post-graduate level.

Decided to request the Govt. of Madhya Pradesh to discontinue the mode of admission of students through PMT in Ayurved colleges of Madhya Pradesh and the admission of the students be made either on meril basis or through PAT.

It was noted that Ministry of Health & Family Welfare forwarded a copy of the DO letter from Joint Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare regarding service charges in ISM&H Institution It was also noted that keeping in view the current policy of the Central Government that health facilities in the country should be self-supporting to put less burden on the Government exchequer, many allopathic institutions/ hospitals have started the scheme of reasonable service charge. On this analogy, ISM&H Division may also consider introducing service charges at all ISM&H institutions in the country. The institutions can make out a care for retention of these funds and use them towards upgrading the facility for which the need is on a constant basis.

The Committee considered the above letter and decided that the copy of the above letter be circulated to all ISM colleges for necessary action.

It was noted that Acharya R.K. Jain, Registrar-cum-Secretary of the I untral Council of Indian Medicine, retired on Superannuation from the services on 31.10.96 and the charge of the post of Registrar-cum-Secretary has been taken over by Hakim G.S. Reena, Asstt. Registrar (Unani).

It was noted that the minimum standards for Under-graduate level edusalion in Ayurved/Unani/Siddha have been prepared by the Central Council at Indian Medicine but these standards are yet to be notified as regulation and this approval of Govt. of India is awaited. Sometime back the Ministry of Health & Family Welfare had advised this Council for a moderate minisums standards which can be enforced in Ayurved/Unani/Siddha educational institutions.

It was noted that Ministry of Health & Family Welfare, Department of IM & H. New Delhi informed that a number of representations seeking recognition of Electropathy, Electro Homoeopathy, and such other so-called medical systems are received.

The Central Council of Indian Medicine decided that these systems can not be recognized by the Central Council of Indian Medicine for any pur-BONG.

#### AYURVED

The salient features of the recommendations made are as under:

It was decided that the nomenclature of the degree in the speciality of Malya Tantra & Prasuti Tantra be amended as Ayurved Dhanwantari M.S. (AV.)

The Committee noted that the following Workshop in relation to Ayurvedic education were organised at the places mentioned below:

- 1. Smt. KG Mittal Punarvasu Ayurved Mahavidyalaya, Mumbai 27-29 July, 95.
- 2. Govt. Ayurved College, Hyderabad, 12th and 13th November, 1995.
- 3. Govt. Ayurved College, Paprola 27th & 28th May, 1996 and
- 4. Dhanwantri Bhawan, Punjabi Bagh, New Delhi 15-16.2.97.

The Committee agreed that for inclusion of provision of Post-graduate Course for Sangyharan and Vikiran Vigyan, Agadtantra specialities under Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) (Amendment)
Regulation, 1994.

It was resolved that the number of beds to be considered for attached hospital should be in accordance to the occupancy and minimum 75% occupancy of beds in the hospital shall be essential for allocation of seats for admission.

It was noted that various Ayurvedic Colleges requested from time to time to furnish the list of Instruments/Equipments necessary in Ayurved hospitals attached to Ayurved College. Therefore, a Sub-Committee was constituted to go through the list of Instruments/equipments prepared by the office and submit their recommendations. The Sub-Committee met on 3.2.97. The recommendations of the Sub-Committee were accepted.

Considered the inclusion of Ayurved subjects viz. Charak, Sushrut, Madhav Nidan, Maulik Siddhant, Sharir Rachna etc. in the syllabus of Civil Service Examination of UPSC as well as State Govt, examination as PCS, HSS, so that the graduates of Ayurved may get opportunity to pass the examination in their own subjects. It was decided to request the concerned authorities for inclusion of above mentioned subjects in various examinations.

It was decided that in view of the poor condition of Ayurved colleges in MP and UP a high power delegation may meet the higher authorities of MP and UP Govt.

The Committee agreed for recognition of Ayurved Vidya Parangat qualification awarded by Tilak Maharashtra Vidyapeeth upto 1988.

It was agreed to include Veda and Yoga in the Ayurvedacharya course.

It was decided that the portion related to Aids be included in Kayachikitsa and Swasthyritta subjects.

# THE FOLLOWING AYAURVEDA COLLEGES WERE VISITED DURING THE YEAR

i.No.	Name of the College	Date of Visitation	UG/PG	Not Permitted
1	2	3	4	5
1. Go	ovt. Ayurved College, Patiala	20,4.96	PG	Permitted
2. Sh	. Parasurampuria Ayurved ahavidyalaya, Sikar	10.6.96	UG	Permitted
3. Sh	Bhanwarlal Dugar Ayurved shwabharti, Sardarshahar	11.6.96	UG	Permitted
4. Ay	urved Mahavidyalaya, Rahuri mgadhar Shastri Gune Ayurved	26.6.96	UG	Permitted
	ahavidyalaya, Ahmednagar	25.6.96	UG	Permitted
6. CS	SMS Ayurved College.	27.6.96	UG	Permitted
	M.T. Ayurved College, umbai	29.6.96	UG	Permitted
	enkatramanna Ayurved College. adras	, 17.6.96	UG	Permitted
Ay	Jayendra Saraswati vurved Mahavidyalaya, mcheepuram	18.6.96	UG	Permitted
	/. Ayurved College, Tirupati	19.6.96	UG	Permitted
	oon Ayurved College, chradun	8.6.96	UG	Not Permitted
	K. Jabshetty Ayurved College. dar	28.6.96	UG	Permitted
	ranath Govt. Ayurved College, ellary	20.6.96	UG	Permitted
	Laxmi Narayan Ayurved Ollege, Amritsar	5.7.96	UG	Permitted
	nyanand Ayurved College, landhar	6.7.96	UG	Permitted
Sh	Kvj. Anantha Tripathy arma Ayurved College, akushpur	7.5.96	UG	Permitted
17. S.S	S. Nrusinghnath Ayurved bllege, Nrusinghnath	9.5.96	UG	Permitted
	vurved Medical College, Gaya	15.7.96	UG	Not Permitted
19. Sw Tr	vami Raghvendracharya idandi Ayurved College,	15.7.96	UG	Not Permitted
	i Yathindra Narain Ashtang	16.7.96	UG	Not Permitted

350	11	1							
21.	Gaur Brahman Ayurved College.	24.5.96	UG	Not Permitted	11	SDM College of Ayurved, Udupi 3	.10.96	UG	Pe
	Rohtak				45.	SDM College of Ayurved, Hassan 2	6.10.96	UG	Pe
22.	Sh. Maru Singh Memorial	28.5.96	UG	Not Permitted	46	KVG College of Ayurved, Sullia 2	7.10.96	UG	Po
	Ayurved College, Khanpurkalan				17.	Lala Lajpatrai Ayurved College, 2	24.9.96	UG	Po
23.	A.V. Samiti's Ayurved	1.7.96	UG	Permitted	100	Moga			
	Mahavidyalaya, Bijapur		& PG		AM	Nallasopara Ayurvedic College, 8	8.10.96	UG	P
24	BNM Ayurved College, Bijapur	2.7.96	UG	Permitted	38,	Manasopara Ayurreare			
	(Rural)	2.7.70		T Committee	200	Thane	16.9.96	UG	P
25	Maharashtra Arogya Mandal's	6.7.96	UG	Permitted	49.	Alvas Education i odinacion	10.7.70		
20.	Ayurved College, Hadapsar (MS)	0.7.70	00	remitted		Ayurved Medical College,			
26		16 7 06	UG	Domitted		Moodbidri	20.0.00	UG	P
20.	ALN Rao Memorial Ayurved	16.7.96	UG	Permitted	50.	Sangam Sevabhavi Trust,	28.9.96	00	1
	College, Koppa					Sangammner			-
27.	Ashwini Educational Association	15.7.96	UG	Permitted	51	Bapuji Ayurved Medical College.	4.11.96	UG	P
	Ayurved College, Davangere				A CONTRACTOR	Rajendranagar, Shimoga			
28.	TAME Society's Ayurved	16.7.96	UG	Permitted	42	Sh. J.G. Cooperative Hospital	5.11.96	UG	F
	College, Bhadrawati				32	Society's Ayurved Medical Colleg			
29.	TAME Society's Ayurved	29.6.96	UG	Permitted					
	College, Hospet					Ghataprabha	30.10.96	UG	1
30.	DGM Ayurved College, Gadag	15.7.96	UG	Permitted	33	Fallabilatia v Csit ward S it dies	30.10.90	00	
	College of Ayurved & Research	19.7.96	UG	Permitted		Institute of Ayurvedic Medical			
	Centre. Akurdi			A THE REAL PROPERTY.		College, Bangalore			
32	Bharati Vidyapeeth College of	24.7.96	UG	Permitted	5.1	Doon Ayurved Medical College,	20.11.96	UG	
32.	Ayurved, Pune	24.7.70	00	Termined		Dehradun			
22	Ganga Education Society's	22 7 06	UG	Permitted	1	Seth Govindji Raoji Ayurved	13.9.96	PG	
33.		23.7.96	00	Perimited	9 9	Mahavidyalaya, Solapur			
21	Ayurved College, Kolhapur	22.7.04	110	D to d		Minavidyalaya, Solapul	23 9 96	PG	
54.	Yashwant Shikshan Prasarak	22.7.96	UG	Permitted	3	6. Sh. Dhanwantri Ayurved College,	23.7.70		
	Mandal's Ayurved College,					Chandigarh	27.9.96	UG	
	Kodoli				3	Ayurved Mahavidyalaya, Nasik		UG	
35.	Hanuman Shikshan Prasarak	22.7.96	UG	Permitted		R.A. Podar Medical College.	24.10.96		,
	Mandal's Ayurved College.					Mumbai		& PC	J
	Vadgaon				1 1	B. R. T. Ayurved College, Akola	29.10.96	UG	
36.	Dadasaheb Sarupsingh Naik	15.7.96	UG	Permitted	1 6	DMM Ayurved Mahavidyalaya,	29.10.96	UG	
	Ayurved College, Dhule				"	Yeotmal			
37.	Dhule Charitable Society's	16.7.96	UG	Permitted	1	1. Govt. Ayurved College,	26.10.96	UG	
	Ayurved College, Dhule				1				
38	Chaitanya Ayurved College.	17.7.96	UG	Permitted		Guwahati	28.10.96	UG	
	Sakegaon, Bhusawal			To the state of		Sh. O.H. Nazar Ayurved College	, 28.10.70		
30	RJMH Ayurved College.	6.7.96	UG	Permitted		Surat	2 12 00	UG	
	Sawantwadi	0.7.50	UU	1 Crimiticu		11 Dayanand Ayurved College,	3.12.96	UU	
10		21700	IIC	May Damilton		Siwan			
40.	Gramin Ayurved Mahavidyalaya,	21.7.96	UG	Not Permitted		M. Swami Raghvendracharya	2.12.96	UG	
	Patur					Tridandi Ayurved Mahavidyalay	a,		
	Ayurved Mahavidyalaya, Pusad	22.7.96	UG	Not Permitted					
42.	Maibhago Ayurved College for	9.8.96	UG	Permitted		Gaya  Ayurved & Unani Tibbia Colleg	e 29.11.96	UG	
	Women, Muktsar								
43.	SSMD Ayurved College &	10.8.96	UG	Permitted		New Delhi	28.10.96	PG	
	Hospital, Moga					66. Vidarbha Ayurved College,	28,10.90	1.0	
						Amravati			

Permitted Permitted Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted Permitted

Permitted Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

Permitted

67.	Shri Gurudeo Ayurved	29.10.96	PG	Permitted
10	Mahavidyalaya, Amravati	111206	110	Damilton
68.	Guru Valmeeki Maharshi	14.12.96	UG	Permitted
	Ayurved Medical College,			
(0)	Chitradurga	16 12 06	UC	Downstand
09.	Amrutha Ayurved Medical	16.12.96	UG	Permitted
70	College, Chitradurga	17.12.00	LIC	Domilland
70.	Bapuji Ayurved Medical College,	17.12.96	UG	Permitted
71	Chitradurga	19 12 06	HC	Downstand
/1.	S.S. Ayurved Medical College, Hayeri	18.12.96	UG	Permitted
72		10.12.06	UG	Permitted
12.	Shri Vijayamantesh Ayurved	19.12.96	UG	Permitted
72	Medical College, Ilkal	19 12 06	UG	Permitted
13.	Desh Bhagat Ayurved Medical College, Govindgarh	18.12.96	00	Permitted
74	Gurunanak Foundation Ayurved	19.12.96	UG	Not Permitted
/+.	Medical College, Muktsar	19.12.90	00	Not remitted
75	Srimal Rikhabchand Ayurved	19.12.96	UG	Permitted
15.	Medical College, Raichur	17.12.70	00	1 Crimiticu
76	Kalmathada Pujya Shri	20.12.96	UG	Permitted
	Virupaksha Shivacharya Ayurved	20.12.70	00	Cimilities
	Medical College, Raichur			
77	Seth J.P. Govt. Ayurved College,	11.1.97	UG	Not Permitted
	Bhavanagar			Tiot I cimille
78.	Govt. Ayurved College,	13.1.97	UG	Not Permitted
	Junagarh			
79.	Gopabandhu Ayurved	7.2.97	PG	Permitted
	Mahavidyalaya, Puri			
80.	Indira Gandhi Memorial Ayurved	8.2.97	PG	Permitted
	Medical College, Bhubneshwar			
81.	J.S. Ayurved Mahavidyalaya,	20.1.97	PG	Not Permitted
	Nadiad			
82.	Govt. Akhandanand Ayurvedic	20.1.97	PG	Permitted
	College, Ahmedabad			
83.	Dhanwantri Ayurved College,	14.2.97	PG	Not Permitted
	Chandigarh			
	Govt. Ayurved College, Kannur	14.10.96	UG	Permitted
85.	Shri Krishnarajendra Charitable	30.12.96	UG	Permitted
	Trust Indian Institute of Ayurvedie	C		
	Medicine & Research, Bangalore			
86.		21.1.97	UG	Permitted
	Medical College, Koppal			
87.	Shri Hingulamabika Education	20.1.97	UG	Permitted
100	Society, Gulbarga			
88.	V.S.S. Ayurved Mahavidyalaya,	31.12.96	UG .	Not Permitted
	Mysore			

NY.	Shri Raghavendra Ayurvedic Medical College, Chitradurga	14.12.96	UG	Not Permitted
91	Maladhauly S.A. Medical College, Gulbarga J.S.S. Ayurved Medical College,	16.1 <sub>2.96</sub> 20.1 <sub>2.96</sub>	UG UG	Not Permitted Permitted
92	Mysore MG. Gramodayas Vishwa- vidyalaya, Satara	26.11.96	PG	Not Permitted

#### UNANI

Decided that eminent Vaidyas/Hakims be honoured with "Dhanwantri"/
Hakim Ajmal Khan" award respectively for their services to mankind. It
has also decided to forward it to the Ministry of Health & Family Welfare
has for the same.

It was decided that there should be provision of sponsorship in various that graduate institutions run by Government of India.

Indian Systems of Medicine institutions, who are desirous to start Postgraduate Course should be asked for having Post-graduate Diploma Course also atleast in one subject alongwith MD/MS Course.

Decided that there must be some refresher courses to provide information and training in new researches & advancements in prevention and cure of diseases, AIDS etc.

Committee decided that practical training in regimental therapy (Ilajtit tadbir) should be compulsory part in the course of Kamil-e-tib-o-jarahat.

It was decided to send a letter to Health Minister/Chief Secretary/ Secretary Health/Director of Haryana with a request to open new Unani Dispensari and increase the number of Unani Dispensaries from 20 to 50.

Decided to write a letter to the Hon ble Health Minister of Haryana with a request to promote Unani System of Medicine in the State on short and long term basis. To begin with 5-10 students may be nominated to the Unani colleges of other States for BUMS degree course & thereafter, in the long term basis the State should start its own Unani College to develop the Unani System of Medicine in the State. It was also resolved that where there is no colleges in the State, the students of those States should be given admission on priority basis in the Unani Colleges of other State.

Decided that Principals of Unani Colleges, experts of the subjects & Professors etc. be called as special invitees in the future workshop for result oriented deliberation.

The following colleges were visited during the year

S.N	lo.	Name of College	Date of Visitation	UG/PG	Permitted/ Not Permitted
1.		e-Sina Tibbia College & pital, Azamgarh.	24&25.4.96	UG	Permitted
2.	ZH	Unani Medical College & pital, Siwan.	4&5.5.96	UG	Permitted
3.	Jam	ia Tibbia, Deoband	4&5.6.96	UG	Permitted
	Coll	ned Gharib Unani Medical lege Akkalkua, Dhule	28&29.6.96	UG	Permitted
5,	Res	hmir Tibbia College & earch Centre, Bye Pass d, Srinagar	2&3.8.96	UG	Permitted
6.		outana Ayurved & Unani Dia College, Jaipur	24.8.96	UG	Not Permitted
7.	Una	ni Tibbia College, Pune	16.8.96	UG	Permitted
8.		Tibbia College & Rasheedia pital, Nagpur.	23.9.96	UG	Permitted .
9.		Unani Medical College & pital, Burhanpur	16.9.96	UG	Permitted
10.		ia Tibbia Rahmania, Unani lege, Kantharia	9.12.96	UG	Permitted
11.		ima Iqbal Unani Medical lege, Muzaffarnagar	7.12.96	UG	Permitted
12.	Niza	amia Unani Medical College Iospital, Gaya	14.12.96	UG	Permitted
13.		K Unani Medical College.	2 & 3.12.96	UG	Permitted
14.		nammedia Tibbia College & ayer H. Malegaon, Distt.	31.12.96	UG	Permitted

#### **SIDDHA**

Government Siddha Medical College, Palayamkottai was visited on 19-20 December, 1996 to assess Post-graduate facilities available in the college.

### REGISTRATION

It was noted that the Central Register of Indian Medicine upto March 1991 except for a few states had been prepared and maintained. Furth action has been initiated for preparation of Central Register for the perior from April, 1991 to March, 1994. State Boards have been requested in

furnish copy of their State Register upto March, 97 so that Central Register may be prepared.

It was noted that the Registration Committee constituted Sub-Committee for Bihar to have meeting with the concerned State Government Officers in the matters of non-supply of copies of the State Register and the matters relating to registration. In this connection, it was noted that the Sub-committee, constituted for Bihar have already held meeting with the Registrar, State Council for Ayurvedic & Unani Systems of Medicine, Bihar on 29-1-97 and with the Commissioner and Health Secretary, Government of Bihar and Health Minister of Bihar on 30.1.97.

It has been noted that almost all the State Boards are not following the direction of the Central Council of Indian Medicine. Most of the State Boards have not amended the State Act and Schedule of qualifications therein. In some of the cases it has been noticed that the State Boards are still granting enlistment/registration to the persons on the basis of experience. It was decided that concerned State Board/State Govt. be requested to stop enlistment/registration to the persons on the basis of experience.

It was noted that a number of unapproved institutions all over India conduct courses in Ayurved and other alternative systems, and award certificates and registration. It was decided that an advertisement may be got published in the newspaper warning the General Public about such unauthorised/bogus institutions.

### **BUDGETARY RESOURCES**

The Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1996-97 were approved by the Council and released/sanctioned by the Govt. are as under:

	Non Plan Rs. in Lakh	Plan Rs. in Lakh
1 Hudget Estimates 1996-97 (Approved by the Council)	58.74	35.00
(Sanctioned by the Ministry)	31.00	30.00
(Approved by the Council)	42.98	26.42
1 Revised Estimates 1996-97 (Sanctioned by the Ministry)	31.00	20.00
A Grant-in-aid released by Ministry	31.00	20.00

The Central Council is a small organisation. However, every care is

25

taken to ensure that the reservations made by the Govt, of India for different categories of employees are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservations made for different categories is as under:

Schedule Caste	Four
Schedule Tribe	Two
Physically Handicapped	Two
Ex-Serviceman	One

### **FUTURE PROGRAMME**

- 1. To review the existing curriculum and syllabus for Graduate & Post-Graduate Courses of Ayurved, Unani & Siddha and organise Workshops in this context.
- 2. Steps to check mushroom growth of sub-standard colleges of Indian Medicine.
- 3. Steps to check unauthorised practice by unqualified/unregistered practitioners of Indian Medicine.
- 4. To organise seminars on various important topics of Indian System of Medicine.
- 5. Establishment of Central Library of Indian Systems of Medicine.
- 6. Preparation of Video Film on educational aspects of Indian Systems of Medicine.
- 7. Preparation of Text Books & reference books of Ayurved, Unani & Siddha in national and regional languages.

### OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT, CENTRAL REVENUES New Delhi-110 002

No. A.M.G. 11/S.A.R./CCIM/97-98/313

Dated: 12.1.99

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate is forwarded to Shri P. R. Sharma, Secretary, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110 058 for necessary action with reference to their letter No. 10-13/96-Accounts dated 30.10.98. The date on which the certified Annual Accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of Hindi version of the certified Annual Accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-Meenakshi Gupta Director of Audit (Inspection - II)

No.: O.A. 11/S.A.R./CCIM/97-98/314

Dated:

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report and the Audit Certificate forwarded to Shri Sunil Kumar Rai, Administrative Officer (Rep-AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 395-Report (Health Deptt) / 161-98 dated 23.11.98.

A Statement incorporating replies to Headquarter's comments/observations is enclosed.

This is issued with the approval of DACR.

Sd/Director of Audit
(Inspection)

Encl.: As above

### Audit Report on the Accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1996-97

### 1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine, New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1976 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs. 31.00 lakh under Non-Plan and Rs. 20.00 lakh under Plan during the year 1996-97.

### 2. Comments on Accounts

### 2.1. Depreciation on Assets

The asset accounts depict book value of acquisition and do not exclude obsolete, unusable, irrepairable and condemned assets and also do not take into account depreciation with corresponding reduction of capital account. Therefore the capital and asset accounts are overstated accordingly thereby not giving the correct picture.

#### 2.2 Bank Reconciliation

As per Rule 13.5 of the Central Government Receipts and Payments Rules 1983, reconciliation of bank statement at the close of each month/year is one of the important duties of the Drawing and Disbursing Officer. Any delay in reconciliation could result in frauds and misappropriation escaping notice of the management. The Council had, however, not conducted the bank reconciliation during the year 1996 97.

The Council stated (July 1998) that the bank reconciliation had since been done. A scrutiny of the records, however, revealed that the Council had only worked out the difference between the balance available as per Cash Book and the Bank Statement. The difference between the two sets of accounts had not been reconciled.

Sd./-Director General of Audit Central Revenues

Place: New Delhi. Date: 12.1.99

### **Audit Certificate**

I have examined the Receipts and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1997, and the Balance Sheet as on 31st March, 1997 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi Dated: 12.1.99

### Audit Report on the Accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1996-97

#### 1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine, New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1976 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs. 31.00 lakh under Non-Plan and Rs. 20.00 lakh under Plan during the year 1996-97.

### 2. Comments on Accounts

### 2.1. Depreciation on Assets

The asset accounts depict book value of acquisition and do not exclude obsolete, unusable, irrepairable and condemned assets and also do not take into account depreciation with corresponding reduction of capital account. Therefore the capital and asset accounts are overstated accordingly thereby not giving the correct picture.

### 2.2 Bank Reconciliation

As per Rule 13.5 of the Central Government Receipts and Payments Rules 1983, reconciliation of bank statement at the close of each month/year in one of the important duties of the Drawing and Disbursing Officer. Any delay in reconciliation could result in frauds and misappropriation escaping notice of the management. The Council had, however, not conducted the bank reconciliation during the year 1996 97.

The Council stated (July 1998) that the bank reconciliation had since been done. A scrutiny of the records, however, revealed that the Council had only worked out the difference between the balance available as per Cash Book and the Bank Statement. The difference between the two sets of accounts had not been reconciled.

Sd./Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi. Date: 12.1.99

### **Audit Certificate**

I have examined the Receipts and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1997, and the Balance Sheet as on 31st March, 1997 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi Dated: 12.1.99

### CENTRAL COUNCIL OF NEW

### RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS

RECEIPTS	NO	NPLAN	PLAN		
The state of the s	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	
OPENING BALANCE AS ON 1.4.96					
Cash in hand	72		H 100		
Cash at Bank	2,49,711	2,49,783	3,21,702	3,21,70	
Grant-in-aid received from					
Ministry of Health & Family					
Welfare, New Delhi during 1996-97		31,00,000		20,00,00	
RECOVERY OF ADVANCES					
Festival Advance	13,140				
Scooter Advance	30,080		-		
House Building Advance	11,400	54,620	6,279	6,27	
MISCELLANEOUS REMITTANCE	S				
General Provident Fund	4,13,421				
Income Tax	34,576	4,47,997		-	
RECEIPTS OTHER THAN GRANT-	-IN-AID				
Leave Salary Contribution	1,361		-		
Pension Contribution	1,154		-		
C.G.H.S. Subscription	2,565		-		
Interest on Advance from Employee	1,564		_		
Sale of Unserviceable Articles	32,305		30,000		
Refund from CCRAS Combined					
Building complex	1,00,000				
Postal Orders for the Post of	771	1 20 720		20.00	
L.D.C.	771	1,39,720		30,00	
<b>RECOGNITION FEE</b> (1992-93 to 95- " 1996-97	96)2,67,000	3,93,000			
Visitation fee New Colleges, 96-97	4,00,000	3,73,000			
Fee received in excess	30,000	10,90,000			
		,,			
			Contra		
	Charles and the second	50,82,120		23.57.98	

### INDIAN MEDICINE DELHI

### FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1997

PAYMENTS	NON	PLAN	PLAN		
TATMENTO _	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNI	
A Province of					
1) PAY & ALLOWANCES					
Pay of Officers	50,525				
Pay of Establishment	5,05,227				
Dearness Allowances	8,85,102				
House Rent Allowance	1,23,913				
City Compensatory Allowance	21,225				
Interim Relief-I	36,195				
Interim Relief-II	58,737				
Interim Relief-III	53,787				
Post Graduate Allowance	2,400				
Non-Practising Allowance	25,000				
Conveyance Allowance	1,625				
Washing Allowance	1,560				
TuitionReimbursement	1,440				
Bonus	59,434				
Medical Reimbursement	98,653				
C.G.H.S. Contribution	38,368				
Leave Travel Concession	26,903				
Wages to employees	65,312				
Overtime Allowance	5,567				
Honourium	750	20,61,723			
2) CONTINGENCIES					
(a) Non-Recurring Expenditure	36,620				
Furniture & Fixture	1,69,692				
Office equipments	1,09,092	2,00,512			
		22,68,03	5		
Balance c/f		22,00,00			

23,57,981

Balance B/F

(b)	Recurring Expenditure				
	Stationery	94,343		51,383	
	Telephone	38,670			
	Postage & Telegram	19,465			
	Newspapers &	6,035		_	
	periodical Books				
	Liveries Expenses	3,820		100 M	
	Audit Fee	40,565		-	
	Printing Charges	13,698			
	Legal Expenses	37,600			
	Advertisement	6,545		11. 12.	
	Maintenance of Office Equipment	12,792			
	& Building Complex				
	Conveyance Expenses	9,496			
	Miscellaneous Expenses	71,151		430,744	
	Staff Car Charges	13,151		Parada -	
	Publication		3,67,331	10,68,840	15,50,967
3.	TRAVELEXPENSES				
	President/Vice President	64,469		Charles Colonia	
	Secretary/Establishment	70,421			
	Members of Executive Committee	1,91,524			
	Members of Education Committee	91,324			
	(Ayurved)				
	Members of Education Committee (Unani)	36,760			
	Members of Finance Committee	29,894			
	Members of Regulation Committee	61,752		-	
	Members of Sub-Committee	46,419			
	Members of Visiting Committee	9,49,238		The second second	
	Members of Council	59,486		1 07 000	
	Members of Silver Jubilee			1,87,922	7.07.120
	Workshop of Ayurved & Unani		16,01,287	5,19,217	7,07,139
4	ADVANCES TO EMPLOYEES	12 000			
	Festival Advance	13,800			
	Scooter Advance	38,000			
	House Building Advance	96,000	1,47,800		
			5 000		
5	ADVANCE TO POSTAGE		5,000		
	DECOGNIZION FEE DEFIND		2,000		
6			2,000		
	TOCOLLEGE				
-	MISCELLANEOUS REMITTANCES				
7		4,13,421			
	General Provident Fund	34,576	4,47,997		
	Income Tax	34,370	7,71,221		
	. CONTRIBUTION TOWARD		42,250	Market Committee	
8					
	PENSION FUND				
	. INTEREST ON GENERAL		36,579		
,	PROVIDENT FUND				
	TROVIDENTFUND				
10	. CLOSING BALANCE AS ON 31.03.199	7			
10	CLOSING BALANCE AS ON SINS.177				
	Cash in hand	21,724			
	Cash at Bank	1,42,117	1,63,841	99,875	99,875
		-,,			23,57,981
TC	TAL		50,82,120		23,37,961

22,68,035

TOTAL

50,82,120

23,57,981

### CENTRAL COUNCIL OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS

EXI	PENDITURE	NON-PI	LAN	PLA	AN
		AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1.	PAY AND ALLOWANCES				
	Pay of Officers	50,525			
	Pay of Establishment	5,05,227			
	Dearness Allowance	8,85,102			
	House Rent Allowance	1,23,913			
	City Compensatory Allowance	21,225			
	Interim Relief-I	36,195			
	Interim Relief-II	58,737			
	Interim Relief-III	53,787			
	Post Graduate Allowance	2,400			
	Non-practising Allowance	25,000			
	Conveyance Allowance	1,625			
	Washing Allowance	1,560			
	Tuition Reimbursement	1,440			
	Bonus	59,434			
	Medical Reimbursement	98,653			
	CGHS Contribution	38,368			
	Leave Travel Concession	26,903			
	Wages to employees	65,312			
	Overtime Allowance	5,567			
	Honourium	750	20,61,723		
2.	CONTINGENCIES				
	Stationery	94,343		51,383	3
	Telephones	38,670		or some se	- "
	Postage & Telegram	19,465		_	
	Newspapers & Periodical Books	6,035		_	
	Liveries Expenses	3,820			
	Audit Fee	40,565		_	
	Printing Charges	13,698			
	Legal Expenses	37,600			10177
	Advertisement	6,545			2779110
	Maintenance of Office Equipmen	t 12,792		-	SATES OF
	Conveyance Expenses	9,496		HE IN THE	11211
	Staff Car Expenses	13,151			
	Miscellaneous Expenses	71,151		4,30,74	4
	Publication	-	3,67,331	10,68,840	0. 15,50,96
	Balance C/F		24,29,054		15,50,96

### INDIAN MEDICINE FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1997.

	NON-PL	AIN	PLAN		
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	
Grant-in-aid received					
rom Ministry of Health					
Family Welfare, New Delhi	48.25				
uring 1996-97	31,00,000		20,00,000		
ess-Grant Capitalise	2,06,312	28,93,688	ATT TO SOLVE	20,00,000	
IISCELLANEOUS RECEIPTS	2000 H				
eave Salary Contribution	1,361		25 2 <u>111</u>		
ension Contribution	1,154		-		
GHS. Subscription	2,565				
nterest on Advance from Employe	ees 1,564		6,279		
ale of Unserviceable article	32,305		30,000		
defund from CCRAS Building					
Complex	1,00,000		Aller Car		
ostal Orders for the Post					
fL.D.C.	771	1,39,720	-	36,279	
decognition Fee recoverable					
or 1996-97	15,27,000				
or 1995-96	43,000	15,70,000			
. 1993-90	45,000	15,70,000			
xcess of Expenditure over Incom-	e			2,21,827	
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	

22,58,106

46,03,408

Balance C/F

	Balance B/F		24,29,05	4	15,50,967	Balance B/F	Balance B/F 46,03,408
3.	TRAVEL EXPENSES						
	President/Vice President	64,469		_			
	Secretary/Establishment Member of Executive Committee	70,421 1,91,524		_			
	Member of Education Committee	91,324		Servera de			
	(Ayurved)						
	Members of Education Committee (Unani)	36,760		_			
	Members of Finance Committee	29,894		_			
	Members of Regulation Committee	61,752		-			
	Members of Sub Committee	46,419					
	Members of Visiting Committee	9,49,238		_			
	Members of Council	59,486		5 10 217			
	Workshops of Ayurved & Unani Members of Silver Jubilee		16,01,287	5,19,217 1,87,922	7,07,139		
	Celebration		, , , , ,		,,0,,10,		
4.	Recognition Fee refund to College		2,000				
5.	Contribution toward Pension Fund		42,250				
6.	Interest to General Provident Fund		36,579		_		
7.	Excess of Income over Expenditure	e	4,92,238				
TO	DTAL		46,03,408		22,58,106	TOTAL	TOTAL 46,03,408
				-			TOTAL

0-1

## CENTRAL COUNCIL NEW BALANCE SHEET AS

LIABILITIES	NON	PLAN	PLAN		
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	
GENERAL RESERVE Assets acquired the day of Estt. As per last Balance Sheet		20,080.15			
Assets acquired out of Grant-in-					
As per last Balance Sheet Addition during the year	3,03,568.30 2,06,312.00		5,60,906.32	5,60,906.32	
SUB TOTAL		5,29,960.45		5,60,906.32	
Excess of Income over Expenditu	ire				
As per Last Balance Sheet			3,41,662.00		
Less: Excess of Expenditure over I	ncome		2,21,827.00	1,19,835.00	
Events of Income even Even ditu					
Excess of Income over Expenditu As per last Balance Sheet	13,82,881.00				
Addition during the year		18,75,119.00		_	
RECOGNITION FEE					
As per last Balance Sheet	1,29,000.00				
Addition during the year	30,000.00	1,59,000.00			
·Balance C/F		25,64,079.45		6,80,741.32	

### OF INDIAN MEDICINE DELHI ON 31ST MARCH, 1997

ASSETS	NO	ONPLAN	PLAN		
Continue to the last	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	
(A) NON-RECURRING NAT	TURE				
(1) Furniture & Fixture					
As per last Balance Sheet	1,57,260.65		42,687.76		
Addition during the year	36,620.00	1,93,880.65	_	42,687.7	
2) Air Cooling Appliances					
As per last Balance Sheet		23,640.73		26,789.8	
3) Books for Library					
As per last Balance Sheet		30,574.91		_	
4) Office Equipments					
As per last Balance Sheet	1,12,172.16		4,91,428.76		
Addition during the year	1,69,692.00	2,81,864.16	_	4,91,428.7	
SUB TOTAL		5,29,960.45		5,60,906.3	
B) RECURRING NATURE					
I. Telephone					
As per last Balance sheet		9,228.00		19,960.0	
2. Festival Advance					
As per last Balance Sheet	10,620.00				
Addition during the year	13,800.00				
	24,420.00				
Recovery during the year	13,140.00	11,280.00			
3. Scooter Advance	13,140.00	11,200.00			
As per last Balance Sheet	8,250.00				
Addition during the year	38,000.00				
	46,250.00				
Recovery during the year	30,080.00				
receivery during the year	30,080.00	16,170.00			
		10,170.00			
1. Advance Postage		5,000.00		_	
Balance C/F		5,71,638.45		5,80,866.3	

### CENTRAL COUNCIL OF NEW PENSION-CUM-BALANCE SHEETS AS

1995-96	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
8,00,989.30	As per last Balance Sheet	10,53,428.50	
2,59,918.00	Addition during the year	42,250.00	
37,178.20	Interest	40,289.20	
10,98,085.50	1	1,35,967.70	
44,657.00	Less: Redeemed	5,23,312.00	6,12,655.70
10,53,428.50	tentina PERE		
10,53,428.50	TOTAL		6,12,655.70

### INDIAN MEDICINE DELHI GRATUITY FUND ON 31ST MARCH, 1997.

1995-96	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
7,50,000.00	Investments As per last Balance Sheet	9,50,000.00	
2,00,000.00	Addition during the year	3,50,000.00	
9,50,000.00	Less: Redeemed	9,00,000.00	4,00,000.00
9,50,000.00 1,03,428.50	Closing Balance as on 31-3 in Saving Bank Account	-97	2,12,655.70
10,53,428.50	TOTAL		6,12,655.70

## CENTRAL COUNCIL OF NEW GENERAL PROVIDENT RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.96 in Saving Bank Account	and the second of the second	51,668.28
Subscription by Employees	2,37,541	
Recovery of Loan form Employees	1,94,680	4,32,221.00
Short Term Deposit matured		13,00,000.00
Interest earned from Bank	1,36,243	
Interest transferred from Council	36,579	1,72,822.00
TOTAL		19,56,711.28

# INDIAN MEDICINE DELHI FUND FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1997

	AMOUNT	AMOUNT
PAYMENTS		
Investment in Short Term Deposits		9,00,000.00
Advances to Employees		1,55,900.00
Part/Final withdrawal to Employees		6,76,013.00
Closing Balance as on 31.3.97		2,24,798.28
in Saving Bank Account		
		19,56,711.28
TOTAL		

### CENTRAL COUNCIL OF NEW GENERAL PROVIDENT BALANCE SHEET AS ON

1995-96	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
15,37,679.28	As per last Balance Sheet	17,43,898.28	
	ADDITION DURING THE YEAR		
2,05,179.00	Subscription	2,37,541.00	
1,61,413.00	Interest	1,72,822.00	
19,04,271.28		21,54,261.28	Control of the Control
1,60,373.00	Less: withdrawal	6,76,013.00	14,78,248.28
17,43,898.28			
17,43,898.28	TOTAL		14.70.240.20
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOTAL		14,78,248.28

### INDIAN MEDICINE DELHI FUND 31ST MARCH, 1997

1995-96	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	1. INVESTMENTS		
1,70,500.00	(a) Special Deposit Scheme As per last Balance Sheet		1,70,500.00
1,70,500.00	(b) Short Term Deposit		
	Monthly Income Certificate		
9,60,000.00	As per last Balance Sheet	13,00,000.00	
7,75,000.00	Addition during the year	9,00,000.00	
17,35,000.00		22,00,000.00	
4,35,000.00			
13,00,000.00	Less: Redeemed during the year	13,00,000.00	9,00,000.00
	2. Advances to Employees		
2,60,730.00	As per Last Balance Sheet	2,21,730.00	
1,40,500.00	Addition during the year	1,55,900.00	
4,01,230.00		3,77,630.00	
1,79,500.00	Less: Redeemed during the year	1,94,680.00	1,82,950.00
2,21,730.00			
	3. Closing Balance as on 31.3.97		
	in Saving Bank Accounts		
51,668.28			2,24,798.28
51,668.28			
17 42 000 20	TOTAL		14 70 240 20
17,43,898.28	TOTAL		14,78,248.28